

रामनगर में बस पोर्ट की
स्थापना / विकास कार्य हेतु
रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी
हुयी अवशेष लगभग 0.120 है० वन
भूमि का उत्तराखण्ड परिवहन
निगम को हस्तान्तरण किये जाने
के सम्बन्ध में वन भूमि हस्तान्तरण
प्रस्ताव ।

प्रयोक्ता एजेन्सी - उत्तराखण्ड परिवहन निगम, कुमाऊँ मण्डल, काठगोदाम।

परियोजन का नाम:-रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु,
रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष
लगभग 0.120 है० भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम
लीज/वनभूमि हस्तान्तरण।

लीज अवधि का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि 30 वर्षों हेतु
लीज पर ली जानी प्रस्तावित है।


सहायक महाप्रबन्धक
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
रामनगर डिपो


म० प्र० (संचालन)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
काठगोदाम (कुमाऊँ मण्डल)

वन भूमि पर प्रस्तावित परियोजनायें जिनमें भवनों का निर्माण निहित हो, के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ संलग्न किए जाने वाले प्रपत्र/सूचनाओं का विवरण

क्रम सं०	प्रपत्र का विवरण	प्रपत्र संख्या	पृष्ठ
1	चैक लिस्ट		1-4
2	प्रतिवेदन		5-7
3	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1		8-9
4	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-2		10-12
5	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-3		14
6	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-4 एवं 5		15
7	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।		16-18
8	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट		19
9	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट		20
10	150000 पैमाने का टोपोग्रीफ मानचित्र		21-29बी
11	वैकल्पिक संरक्षण तलाशे जाने एवं उन्हें निरस्त किए जाने का कारण मय तुलनात्मक विवरण		30
12	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मांग न्यूनतम होना का प्रमाण पत्र		31
13	प्रस्तावित भूमि का लेण्ड शेड्यूल		32-35
14	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई		36
15	बार चार्ट		37
16	कार्य आरम्भ न किए जाने का प्रमाण पत्र		38
17	प्रस्तावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/व्यासवार विवरण एवं मूल्यांकन/सारांश/वास्तविक रूप से काटे जाने वाले पेड़ (15 से 15.6 तक)		39-45
18	बीज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षण का प्रमाण पत्र		46
19	न्यूनतम वृक्षों के पातन किए जाने का प्रमाण पत्र		47
20	परियोजना स्थल की राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण का हिस्सा न होने का प्रमाण पत्र		48
21	परियोजना स्थल की राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण से दूरी का प्रमाण पत्र		49ए-49बी
22	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण पत्र		50
23	प्रभावित होने वाले ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण पत्र		51
24	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।		52-53
25	भवन निर्माण आदि प्रकरणों में ले-आउट प्लान		56-57बी
26	परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक की आख्या		58-61
27	भू-वैज्ञानिक के सुझावों के अनुपालन का प्रमाण पत्र		62
28	पर्वतीय क्षेत्रों में टास्क फोर्स की संस्तुतियां मान्य होने का प्रमाण पत्र		63
29	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण पत्र		64
30	प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण पत्र		65
31	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुंचाए जाने का प्रमाण पत्र		66
32	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिटटी का तेल/कुकिंग गैस उपलब्ध कराए जाने का प्रमाण पत्र		67
33	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/परिवारों के विवरण का प्रमाण पत्र		68
34	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य/लीज रेंट का प्रमाण पत्र		69
35	काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में 10 गुना पेड़ लगाए जाने का सप्तवर्षीय प्राक्कलन		70
36	मक डिस्पोजल योजना, मानचित्र व उपचार कार्यों का प्राक्कलन		71-72
37	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय ए०पी०वी० की धनराशि का आंकलन		73
38	एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किए जाने का प्रमाण पत्र		74
39	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किए जाने का प्राक्कलन		75-76
40	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन का विवरण		77
41	प्रस्ताव को भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करना व उक्त प्रस्ताव की दो सी०डी० पी०डी०एफ० फॉरमेट में उपलब्ध कराना।		

सी0डी0एफ0 का वर्तमान वरी में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण-पत्र।	43	74
प्रत्यवर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्रावकलन।	44	75
वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन का विवरण।	46	77
प्रस्ताव को भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करना व उक्त प्रस्ताव की दो सी0डी0 एफ0 फारमेट में उपलब्ध कराना।	48	

चैक लिस्ट / फॉक्ट सीट

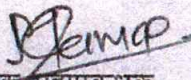
परियोजना का नाम :- रामनगर नें बस पोर्ट की स्थापना / विकास कार्य हेतु रामनगर रानीखेत मार्ग से लगती हुयी अवशेष लगभग 0.120 हे० भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को लीज / वनभूमि हस्तान्तरण।

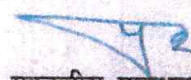
1-Main Attachment (अनिवार्य संलग्नक) (एस0ओ0पी0 की सारणी-10 के अनुसार)			
संलग्नक सं०	संलग्नक प्रपत्रों का नाम Name of the Attachment Document	संलग्नक(हो/नही) Att. Yes/no	Page no.
1.1	Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency. सक्षम अधिकारी / ऑन-लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी / कर्मचारी का प्रमाण पत्र।	Yes	
1.2	Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted. सर्वे ऑफ इण्डिया टोपोशीट मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण वन क्षेत्र को दर्शाया गया हो।	Yes	
1.3	Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS. मैप जिसमें टोपोशीट पर प्रस्तावित क्षेत्र को जी0पी0एस0 के साथ दिखाया गया हो।	Yes	
1.4	Google Map of the proposed site showing legal status of the proposed land and alternative examined for the project with legend. (kml file) (pdf file). गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समरेखण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	KML FILE ONLINE UPLOADED	
1.5	Note containing justification for locating the Project in forest land (pdf file). प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	Yes	
1.6	Certificate by DM- Forest Right Act-2006(in MoEF revised prescribed form) (pdf file). जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त वन अधिकार अधिनियम, 2006 का प्रमाण-पत्र मय संलग्नकों के (नये प्रारूप में)।	Yes	
1.7	Survey of India Toposheet in 1:50,000 scale indicating location of the land identified for creation of Compensatory Afforestation: signed by DFO (pdf file). प्रस्तावित परियोजना का 1:50,000 के पैमाने का मानचित्र जिसमें क्षतिपूर्क वृक्षारोपण स्थान को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	N/A	N/A
1.8	Colored copy of the google map showing the land identified for CA. (kml file) signed by DFO (pdf file). रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूर्क वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	N/A	N/A
1.9	If non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency? A Copy of ownership proof and No Objection Certificate (pdf file). यदि प्रस्तावित कार्य हेतु गैर वन भूमि अथवा राजस्व वन भूमि की आवश्यकता हो तो भूमि घर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं भूमिधरों का भूमिधर होने का प्रमाण-पत्र।	N/A	N/A
1.10	Copy of Mou/agreement executed between the Present owner and the User Agency. (pdf file). भूमिधर एवं प्रयोक्ता एजेन्सी के बीच हुए करार (PDF).	N/A	N/A
1.11	Cost benefit analyses (in more then 5.0 ha. Land diversion cases) (pdf file). विस्तृत लागत-लाभ विशलेषण प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)।	N/A	N/A

2.13	Undertaking by the User Agency to bear the cost of Road side /gap filling plantation (by user agency) (pdf file) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा बस पोर्ट में रिक्त पड़े स्थानों पर सड़ित वृक्षारोपण की धनराशि वहन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	Yes	
2.14	Estimate of 100 trees plantation by DFO (less then 1.0 ha. cases) (pdf file). प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त 100 वृक्षों के वृक्षारोपण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र। (1 हे० से कम में लागू।)	Yes	
2.15	Details of the trees with their scientific name in RF, Civil Soyam, Van Panchayat, Private Notified land and in Nap Land should be mentioned (with valuation of the trees to be felled) (0-10 dia trees will be mentioned as saplings). (pdf file) Tree count. परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची एवं उनके वैज्ञानिक नाम। (सूची आरक्षित वन क्षेत्र, सिविल, वन पंचायत, एवं निजी भूमि दोनों अलग-अलग बनायी जानी होगी)।	Yes	
2.16	Felling of Oak trees (if involves, inspection report of the concerning CF has to be provided). (pdf file). बाँज प्रजाति के वृक्षों के पातन हेतु वन संरक्षक की संस्तुति का प्रमाण-पत्र।	N/A	N/A
2.17	If felling of trees is not involved, certificate by DFO in this regard. (pdf file). अगर वृक्षों का पातन नहीं होना है तो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र।	Yes	
2.18	Certificate of felling minimum trees during the project work. (pdf file) . न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	Yes	
2.19	Muck disposal scheme (in prescribed format) (pdf file). परियोजना के निर्माण से उत्पादित मलवा निस्तारण की योजना। (निर्धारित प्रारूप में)।	Yes	
2.20	Whether project area is a part of National Park or sanctuary and airtal distance of the project from National Park or sanctuary signed by DFO. (pdf file). प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।	Yes	
2.21	If the project area is within 10 Km radius of N/P or Centuary, Comments/No objection certificate of CCF Wild Life has to be provided. (pdf file) . यदि प्रस्तावित परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के 10 किमी० की परिधि में आता है तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र	Yes N/A	N/A.
2.22	If the Project falling within the National park or Sanctuary, needs recommendation of State Wild Life Board, National Board of Wild Life (NBWL) and permission of Hon'ble Supreme Court/MoEF Gol. (pdf file). यदि प्रस्तावित परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत आता है तो ऐसे प्रकरणों में राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड, भारतीय वन्य जीव परिषद एवं मा० उच्चतम न्यायालय की अनुमति ।	Yes N/A	N/A
2.23	No voilation has taken place, FC Act. 1980 reg. (pdf file). वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र।	Yes	
2.24	NOC from local Gram Sabhas. (pdf file). आम-सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	Yes	
2.25	Approved general lay out plan/alignment and estimate from competent authority with name and designation (pdf file). प्रस्तावित परियोजना का ले-आउट प्लान एवं प्रांकल्लन तथा सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा मय नाम एवं पद के साथ।	N/A	N/A
2.26	Component wise details of construction work. (pdf file) . अवयव के अनुसार निर्माणाधीन कार्यों का विवरण। (यदि लागू हो तो)।	N/A	N/A
2.27	Certificate- work has not been started reg. (pdf file). कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण-पत्र।	Yes	
2.28	Geologist Report (Govt. approved Geologist). (pdf file). भू-वैज्ञानिक की आख्या।	Yes	

2.29	Task Force report. टास्क-फोर्स रिपोर्ट।	Yes	
2.30	Certificate by user agency for complying the condition imposed in Standard Condition (pdf file). प्रस्तावक विभाग द्वारा मानक शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	Yes	
2.31	Certificate by user agency for complying the condition imposed in geologist report/Task force recommendation in hill areas (excluding drinking water. टास्क-फोर्स एवं भू-वैज्ञानिक की शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	Yes	
2.32	No historical/monumental or religious place will be effected certificate reg. (by DM/DFO) (pdf file). धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व का स्थल न होने का प्रमाण-पत्र।	Yes	
2.33	Undertaking regarding no animal will be effected adversely by the project. (Pdf file). वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुंचाये जाने का प्रमाण-पत्र।	Yes	
2.34	Undertaking to provide alternative fuelwood, kerosene or LPG to labours involved in project. (Pdf file). परियोजना के निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी का तैल एवं रसोई गैस का प्रमाण-पत्र।	Yes	
2.35	Benefited villages/Families/Population Certificate. (pdf file). लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र	N/A	N/A
2.36	NPV calculation certificate as per Hon'ble Supreme court /MoEF orders by DFO (pdf file). एनपीवी की देयता का प्रमाण-पत्र।	Yes	
2.37	Undertaking of payment of NPV, if Hon'ble Supreme Court increases the rates of NPV (by user agency) माओ उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एनपीवी की बढ़ी हुई धनराशि की देयता का प्रमाण-पत्र।	Yes	
2.38	Cost of the forest land and lease rent certificate by DM. (pdf file). वन भूमि के लीज रेंट का प्रमाण-पत्र।	Yes	
2.39	Certificate of Lease period by user agency. (pdf file). लीज अवधि का प्रमाण-पत्र।	Yes	
2.40	Demarcation of land to be diverted (pdf file). आरओसीओसीओ पिलरों के सीमांकन का प्रमाण-पत्र।	Yes	
2.41	Undertaking of user agency to bear the cost for demarcation work (pdf file). आरओसीओसीओ पिलरों के व्यय को वहन करने हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा दिया गया।	Yes	
2.42	Non-availability of non-forest land for compensatory afforestation certificate by Chief secretary (pdf file). क्षतिपूर्क वृक्षरोपण हेतु गैर भूमि उपलब्ध न होने का मुख्या सचिव द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र। (अगर लागू हो)।	N/A	
2.43	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मरे जाने वाला प्रपत्र मांग	Yes	
2.44	Check list/Fact sheet . /Other imp details चैक लिस्ट/फैक्ट शीट	Yes	

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त नई फैक्ट शीट/चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण-पत्र एसओपी में दिये गये प्रपत्रों के अनुसार संलग्न कर दी गयी है।


सहायक महाप्रबन्धक
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
रामनगर


मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम कुमाऊ
मण्डल, काठगोदाम

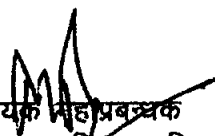
परियोजना का नाम:- रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी वन भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को लीज/वनभूमि हस्तान्तरण।

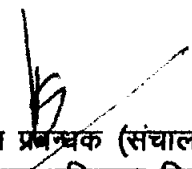
प्रतिवेदन
(परियोजना के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण)

उक्त कार्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग-1 देहरादून के पत्रांक 635/IX-1/68/2018 पत्रांक 10.12.2018 द्वारा केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत बसे अड्डे के स्थापना/विकास हेतु निर्गत दिशा-निर्देश के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य योजनान्तर्गत रामनगर बस अड्डे की स्थापना हेतु कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

जिसके अनुसार बस पोर्ट की स्थापना अन्तर्गत प्रभावित भूमि का संयुक्त निरीक्षण कराकर वन भूमि प्रस्ताव नियमानुसार गठित किया गया है। यह रामनगर पहाड़ी क्षेत्र के मुख्य द्वारा पर स्थित है यहाँ पर बस पोर्ट के निर्माण हो जाने समूचे क्षेत्र का विकास होगा तथा स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होने के साथ साथ याता की सुविधा समय-समय पर प्राप्त होती रहेगी एवं क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले ग्राम/शहरों के अतिरिक्त पहाड़ी क्षेत्र से रात विरात आने वाले यात्रियों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त होगा। जनहित में बुनियादी ढांचे के विकास पर्यटन को बढ़ावा देने, वनों की सुरक्षा, पहाड़ी क्षेत्र से पलायन रोकने, आपदा के समय प्रभावितों को सहायता उपलब्ध कराने हेतु वैकल्पिक यात्रा उपलब्ध कराने एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन हेतु भूमि के उपयोग के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। अतः उपरोक्त कारणों से बस पोर्ट का निर्माण वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है। जो अपरिहार्य एवं औचित्यपूर्ण है।

अतः बस पोर्ट रामनगर निर्माण के अन्तर्गत आरक्षित वन भूमि 0.120 है० प्रभावित हो रही है। वन भूमि हस्तान्तरण तथा बसपोर्ट के निर्माण में प्रभावित वृक्षों के पातन की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।


सहायक महाप्रबन्धक
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
रामनगर


मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
कुमार्ज मण्डल,
काठगोदाम

परियोजना का नाम-

रामनगर में बस पोर्ट की स्थापन/विकास कार्य हेतु रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष लगभग 0.120 है० वन भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को लीज/वनभूमि हस्तान्तरण।

प्रारूप-1

Mr. Mohan Ram, AGM Ramnagar Depot is hereby authorised to upload the land transfer proposal regarding Construction of busport, Ramnagar (0.120 ha) of the Uttarakhand transport Corporation, Nainital. On the Government of India portal www.forestclearance.nic.in on behalf of the Circle Manager, Uttarakhand Transport Corporation, Kumaon Circle, Nainital.

Signature

Name and seal of the competent Authority

(4)

कार्यालय सहायक महाप्रबन्धक

उत्तराखण्ड परिवहन निगम, रामनगर डिपो।

पत्रांक- 1057 सोमप्रो/समो/संचालन-भूमि भवन / 2021

दि०- 03 अगस्त, 2021

रामनगर में बस स्टॉप की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष लगभग 0.120 है० भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को जीज/वनभूमि हस्तारण हेतु रामनगर डिपो के सम्बन्धित अधिकारी का विवरण-

नाम - मोहन राम
पदनाम - सहायक महाप्रबन्धक
दूरभाष - 8476007521
ईमेल आईडी - utc.ramnagar@gmail.com

(मोहन राम)
सहायक महाप्रबन्धक
रामनगर डिपो।

1. परियोजना विवरण :- रामनगर मे बस पोर्ट की स्थापन/विकास कार्य हेतु रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष लगभग 0.120 है० वन भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को लीज/वनभूमि हस्तान्तरण।

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।

परियोजना विवरण :- रामनगर मे बस पोर्ट की स्थापन/विकास कार्य हेतु रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष लगभग 0.120 है० वन भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को लीज/वनभूमि हस्तान्तरण।

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

संलग्न है।

ग) परियोजना की लागत।

22.53 रू०/- करोड़

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।

बस पोर्ट के निर्माण हेतु।

ड.) लागत लाभ विश्लेषण

लागू नहीं।

व) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।

2 कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:

आरक्षित वन भूमि:-	0.120 है०।
वन पंचायत भूमि:-	0.00 है०।
सिविल भूमि:-	0.00 है०।
कुल वन भूमि:-	0.120 है०।
नाप भूमि:-	0.00 है०।

3 परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है

लागू नहीं।

क) परिवारों की संख्या

लागू नहीं।

ख) अनुसूचित जाति/ जनजाति के परिवारों की संख्या

लागू नहीं।

ग) पुर्नवास योजना

लागू नहीं।

क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है (हाँ/नहीं)

नहीं।

5 प्रतिपूरक वगीकरण करने तथा उसके संरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वगीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वगीकरण की वचनबद्धता।

संलग्न है।

6 निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।

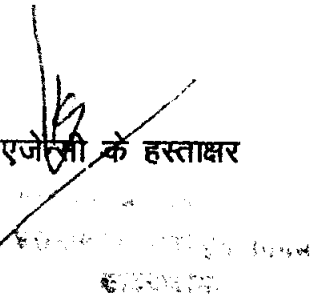
संलग्न है।

दिनांक.....
स्थान.....

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

नाम:-

मोहर:-



प्रपत्र-2.1

भाग- II

क. परियोजना/स्कीम का स्थान:- रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर में रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष लगभग 0.120 है० वन भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को लीज/वन भूमि हस्तान्तरण।

- | | |
|---|---------------------------|
| 1) राज्य/संघ शासित क्षेत्र:- | उत्तराखण्ड |
| 2) जिला:- | नैनीताल |
| 3) वन प्रभाग:- | रामनगर वन प्रभाग, रामनगर |
| 4) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में):- | आरक्षित वन भूमि 0.120 है० |
| 5) वन की कानूनी स्थिति:- | आरक्षित वन |
| 6) हरियाली का घनत्व:- | 0.6 |
| 7) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) | संलग्न है। |
| सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर०एल० - 8 मी० पर परिगणना भी संलग्न किए जाए:- | |
| 8) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी:- | नगण्य है। |
| 9) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी:- | 280 मी० |
| 10) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयों अनुबन्धित की जाए) | नहीं। |

11) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।

नहीं

12) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या

नहीं

13) प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 1 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम भूमि यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।

हाँ

14) क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो वन की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चहल चल रहा है।

नहीं

घ) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:

1) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।

लागू नहीं

2) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।

लागू नहीं

3) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।

लागू नहीं

4) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।

लागू नहीं

5) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से राक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।

लागू नहीं

6) जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (गपए गपप) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

लागू नहीं।

व) प्रभाग/जिला प्रोफाइल जिला का भौगोलिक क्षेत्र।

1) जिला का वन क्षेत्र।

→ 579400.00 ₹

2) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।

→ 402040.00 ₹

3) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण

→ 2802.47 ₹ / 633

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि

→ 9568.87 ₹

(ख) वनेत्तर भूमि पर 3.0/11/2019 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति

(क) वन भूमि पर

→ 2902.68 ₹

(ख) वनेत्तर भूमि पर

→ 499.2 ₹

छ) प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

वित्त साधन। उभागीय वनाधिकारी की वित्तीय नियंत्रण रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

दिनांक 22/03/2023

स्थान 22/03/2023

हस्ताक्षर

सरकारी मोहर

प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

प्रपत्र-2.2

भाग-III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

- 14- स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

नहीं

- 15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हाँ

- 16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

प्रभागीय वनाधिकारी की उत्तरदायी प्रमुख से स्वीकृति की जाती है।

तिथि 17/04/2023

स्थान हवड़ा

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

(दीप चन्द्र झा)

वन संरक्षक
पश्चिमी वृक्ष
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी

प्रपत्र-2.3

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष,
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

- 17- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने
या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की
विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।
(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक
अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल
टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय
और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

हस्ताक्षर:

तिथि :

नाम और पदनाम

स्थान :

सरकारी मोहर

प्रपत्र-2.4

भाग-V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी
जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

- 17- राज्य सरकार की सिफारिश:
(उपर्युक्त भाग-II या भाग-III या
भाग-IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी
द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर
विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

हस्ताक्षर:

तिथि :

नाम और पदनाम

स्थान :

सरकारी मोहर

परियोजना का नाम :- रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर रानीखेत मार्ग से लेगी हुयी अवशेष लगभग 0.120 है० भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को, लीज नवीनीकरण/वनभूमि हस्तान्तरण।

प्रारूप-5

परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण-पत्र

प्रस्तावित परियोजना हेतु निर्गत शासकीय वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति की छायाप्रति प्रमाणित कर संलग्न है। यदि कतिपय परियोजनाओं की एकमुश्त स्वीकृति प्राप्त हो तो प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृति को हाई लाईट किया जाय।

ह०/
प्रयोक्ता एजेन्सी


सहायक प्रबंधक
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
रामनगर


मण्डलीय प्रबंधक (संचालन)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम कुमाऊ
मण्डल, काठगोदाम।

17

17

उत्तराखण्ड परिवहन विकास निगम लिमिटेड

Uttarakhand Transport & Infrastructure Development Corporation Limited

1-Parliament Street, New Delhi-110001

BHARATMALA
ROAD TO PROSPERITY

CIN: U45400DL2014GO 263072

(A Government of India Enterprise)

NAIIDCL/BusPort/Ramnagar/2018-19/1683

Date: 12.11.2020

Sh. Paresh Kumar Goel,
Director (T), Transport Section,
Ministry of Road Transport & Highways
Transport Bhawan, 1-Parliament Street
New Delhi-110001

हस्ताक्षर
25/11/20

Subject: Development of Bus Ports in Ramnagar, Uttarakhand - Revised Detailed Project Report -reg.

Ref: MoRTH letter no. RT-17014/3/2018-T dated 01.07.2020.

With reference to the letter under reference mentioned above, wherein it was conveyed that as the project was found to be non-viable on commercial terms due to several factors such as not allotting a prime land, inability to vacate the site for separate entry and exits to the Bus port etc. Hence the project under consideration needs reformulation to make it viable.

In this context, the Detailed Project Report (DPR) for the subject work has been reformulated and the revised DPR is enclosed herewith for perusal and approval.

The DPR consultant M/s DIMTS has submitted the following:

(i) The detailed project cost estimated for different project facilities is tabulated below:

Sr. No.	Description	Cost (in Rs. Crores)
1.	Bus Port 18.41	18.41
2.	Workshop, Fuel Station & Washing	0.90
3.	Solar Plant	0.65
4.	Quality & Contingency @ 3%	0.60
5.	IDC	1.97
	Total Project Cost incl. IDC	22.53

2128

उत्तराखण्ड परिवहन निगम
मुख्यालय, देहरादून
टाक पाउन्स

87

The estimated EIRR at 20% VGF i.e. Rs. 4.51 Cr is 17.93% with the concession period of 25 years which is within the ceiling amount of Rs. 7.50 Cr as specified by MORTH.

The Detailed Project report has been examined and a brief of the bus port at Ramnagar is enclosed as "Annexure-I" (along with copy of DPR) for ready reference.

In view of the above, approval is requested for the Ramnagar Bus Port so that bids can be invited on PPP mode for development of bus port at Ramnagar, Uttarakhand expeditiously.

This issues with approval of the Competent Authority.

Encl: DPR.


(A.K. Singh)
General Manager (Tech.)
Email: gm.infra@nhidcl.com

Copy to:-

The Managing Director
Uttarakhand Transport Corporation
1, Raj Vihar, Chakrata Road
Dehradun, Uttarakhand

: For information.

परियोजना का नाम :- रामनगर मे बस पोर्ट की स्थापन/विकास कार्य हेतु रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष लगभग 0.120 हे० वन भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को लीज/वनभूमि हस्तान्तरण।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 11.02.2021 को प्रश्नगत परियोजना के लिये वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री ललित मोहन जोशी राजस्व विभाग की ओर से श्री तारा चन्द्र घिड़ियाल प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री मोहन राम आर्य द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वन भूमि/नाप भूमि प्रभावित हो रही है।

आरक्षित वन भूमि 0.120 हे०, सिविल एवं सोयम वन भूमि शून्य हे०, वन पंचायत भूमि शून्य हे० एवं नाप भूमि शून्य हे० प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/संरक्षण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से नगरपालिका, रामनगर व निकटवृत्तीय क्षेत्रों की जनसंख्या लाभान्वित होगी।

आवेदित वन भूमि में 04 वृक्षों का पातन निहित है, जिनकी प्रजातिवार/व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

उक्त परियोजना के निर्माण हेतु बस पोर्ट के उत्तर पूर्व किनारे से लगी वन भूमि को उपयुक्त पाया गया, इस भूमि के अन्दर एक वन चौकी स्थित है। जिसमें वर्तमान में परिवार निवास करता है। परियोजना के निर्माण में उक्त चौकी प्रभावित होगी। जिसका क्षतिपूर्वक भुगतान वन विभाग से प्राप्त निर्देशानुसार वन विभाग के पक्ष में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जाएगा।

ह०/-
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

ह०/-
(राजस्व विभाग का प्रतिनिधि)

ह०/-
(वन विभाग का प्रतिनिधि)

ह०/-
(जिलाधिकारी)

ह०/-
(प्रभागीय वनाधिकारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

ह०/-
(सम्बन्धित जय जिलाधिकारी)
उपजिलाधिकारी
रामनगर (नैनीताल)

(मोह/अकबम)
(नगर पालिका अध्यक्ष, रामनगर)
नगरपालिका परिषद, रामनगर,

ह०/-
जिलाधिकारी
नैनीताल

परियोजना का नाम:- रामनगर में बसपोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर-रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष लगभग 0.120 है0 वन भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को लीज/वनभूमि हस्तान्तरण।

प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट:-

दिनांक 23.03.2023 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा रामनगर वन प्रभाग, रामनगर के कोसी रेंज अन्तर्गत रामनगर में बसपोर्ट के विकास हेतु प्रस्तावित 0.120 है0 वन भूमि हस्तान्तरण के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण की ओर से सहायक महाप्रबन्धक, रामनगर तथा उप-प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर, सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी एवं अधीनस्थ स्टाफ के साथ प्रस्तावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया।

1. शासनादेश संख्या:- 590/14-2-1998-800(42)2004 दिनांक 28.06.2000 (संलग्नक-1) से जनपद नैनीताल में उत्तरप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशन के निर्माण हेतु 0.505 है0 वन भूमि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम 30 वर्षों की लीज पर हस्तान्तरित की गयी। पुनः शासनादेश संख्या 855/7-1-2005-800(928)2004 दिनांक 21.03.2005 (संलग्नक-2) से बस अड्डे के निर्माण हेतु 0.6230 है0 वन भूमि उत्तरांचल परिवहन निगम को 30 वर्षों की लीज पर हस्तान्तरित की गयी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार विषयांकित प्रयोजन हेतु 0.120 है0 क्षेत्र वन भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित किया गया है, जो पूर्व में लीज पर दी गयी उपरोक्त वन भूमि से लगी हुई है। सम्बंधित क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित वन भूमि में 04 वृक्ष हरे खड़े प्रभावित हो रहे हैं जिसका पातन किया जाना अपरिहार्य होगा। उक्त के अतिरिक्त हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित वन भूमि में वन विभाग की एक चौकी प्रभावित हो रही है, जिसका ध्वस्तिकरण किया जाना अपरिहार्य होगा। रामनगर वन प्रभाग, रामनगर का क्षेत्र कार्बेट टाइगर रिजर्व की सीमा से लगा है, जिस कारण यह वन प्रभाग वन्यजीव बाहुल्य प्रभाग है एवं वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा तथा मानव-वन्यजीव संघर्ष के दृष्टिकोण से अत्यन्त संवेदनशील वन प्रभाग है। वनों एवं वन्यजीवों की प्रभावी सुरक्षा एवं मानव-वन्यजीव संघर्ष के न्यूनीकरण हेतु उक्त वन चौकी अत्यन्त महत्वपूर्ण है, जिसके ध्वस्त होने पर उक्त कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः उपरोक्त कारणों से प्रस्तावित वन भूमि का कथित प्रयोजनों हेतु हस्तान्तरण किया जाना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है।
3. इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने पत्रांक 878/के0आर0/4-भूमि भवन/रामनगर बस स्टे0/22 दिनांक 28.03.2023 (संलग्नक-3) से अवगत कराया गया कि प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष रोडवेज बस स्टेशन से लगी सामने की ओर की 0.1526 है0 वन भूमि बसपोर्ट के संचालन हेतु एवं सार्वजनिक हित में अधिक उपयुक्त होगी। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रोडवेज बस स्टेशन से लगी उक्त 0.1526 है0 वन भूमि जनहित एवं राजकीय हितों की दृष्टि से हस्तान्तरित करने का अनुरोध किया गया है। उक्त भूमि पर वर्तमान में 2 व्यक्तिगत लीज धारक विद्यमान हैं, जिसमें से एक लीज श्रीमती पदमा देवी के नाम दर्ज है (क्षेत्रफल 0.075 है0) जो कालातीत हो चुकी है। दूसरी लीज श्री ईश्वर सिंह चड्ढा पुत्र स्व श्री संत सिंह चड्ढा, हरबंश मोटर वर्क्स को मोटर वर्क्स

SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF
(for the forest land to be diverted under FCA)

5.1 A proposal has been received by this office from Uttarakhand Transport Corporation for diversion under FCA-1980) of 0.120 ha. of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for Construction of Busport in Ramnagar. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated 23/03/2023

5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is aRF/PF/un-classed/Other forests measuring...0.120.....ha.

5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Co1.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project. **YES**

5.4 Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of :- **NILL**

5.5 xx Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or anyother important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.- **NILL**

☒ a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction. **YES**

☒ b) It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached. **NO**

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

Detailed Site Inspection Report is enclosed.

(Signature)

Place:- RAMNAGAR.....

Date... 28/03/2023.....

Name KUNDAN KUMAR.....

Designation DCF RAMNAGAR DIVISION

Office Seal प्रभुगीय बन्धु अधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

N.B. x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.
 xx out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross
 the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.

प्रयोजन हेतु उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या जी0आई0 170/7-1-2001-800/2000 दिनांक 06.02.2001 एवं शासनादेश संख्या जी0आई0 172/7-1-2001-800/2000 दिनांक 08.02.2001 के माध्यम से कुल क्षेत्रफल 0.0796 है0 वन भूमि 30 वर्षों हेतु लीज पर दी गयी है। उपरोक्त प्रस्तावित वन भूमि एवं पूर्व में हस्तान्तरित वन भूमि के सांकेतिक मानचित्र संलग्न हैं (संलग्नक-4)।

4. अतः प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त पत्र 878/के0आर0/4-भूमि भवन/रामनगर बस स्टै0/22 दिनांक 28.03.2023 के क्रम में विषयांकित प्रयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष रोडवेज बस स्टेशन से लगी 0.1526 है0 वन भूमि जनहित एवं राजकीय हितों की दृष्टि से उपयुक्त हैं एवं उक्त भूमि को परियोजना के विकास हेतु दिये जाने की संस्तुति की जाती है। अतः सक्षम स्तर से उपरोक्तानुसार निर्णय लिया जा सकता है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।


(कुन्दन कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

परियोजना का नाम:- रामनगर में बसपोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर-रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष लगभग 0.120 है० वन भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को लीज/वनभूमि हस्तान्तरण।

प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट:-

आज दिनांक 14.11.2024 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा कोसी रेंज अन्तर्गत रामनगर में बसपोर्ट के विकास हेतु प्रस्तावित 0.120 है० वन भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण की ओर से सहायक महाप्रबन्धक, रामनगर तथा सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी एवं अधीनस्थ स्टाफ उपस्थित रहे। स्थलीय निरीक्षण में निम्न तथ्य पाये गये:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार विषयांकित प्रयोजन हेतु 0.120 है० क्षेत्र वन भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित किया गया है। आवेदित वन भूमि में 04 वृक्ष हरे खड़े एवं वन विभाग की एक चौकी प्रभावित हो रही हैं।
2. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त उत्तराखण्ड हल्द्वानी, द्वारा प्रस्ताव में उनके पत्र 679/12-1 दिनांक 19.10.2024 के माध्यम से आपत्ति लगाई गई है की सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण आख्या में उल्लेख किया गया है कि विषयांकित प्रयोजन हेतु आवेदित 0.120 है० भूमि हस्तांतरण हेतु उचित प्रतीत नहीं होती है, साथ ही प्रस्ताव में संस्तुति करते हुए 0.1526 है० वन भूमि को प्रस्तावित प्रयोजन हेतु उपर्युक्त बताया गया है परन्तु प्रस्ताव 0.120 है० प्रस्तावित भूमि का प्रेषित किया गया है।
3. प्रस्तावित भूमि से पृथक रामनगर बस स्टेशन के परिवेश द्वार से लगी 0.1526 है० भूमि जो तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा विषयांकित प्रयोजन हेतु उपर्युक्त बताई गई थी का भी अधोहस्ताक्षरी द्वारा निरीक्षण किया गया निरीक्षण करने पर पाया गया कि उक्त भूमि पर वर्तमान में दो लीजधारक विद्यमान हैं जिसमें से एक लीजधारक की लीज अवधि समाप्त हो गई है अथवा दूसरे लीजधारक की लीज वर्ष 2029-30 तक के लिए वैध है।
4. सहायक महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड परिवहन निगम रामनगर द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण में पहले से ही काफी बिलम्ब हो चुका है ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण वन भूमि हस्तान्तरण प्रक्रिया का पुनः दौहराया जाना औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त के स्थान पर प्रस्ताव में आवेदित 0.120 है० वन भूमि का ही हस्तान्तरण किया जाय।
5. तदक्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवगत कराया गया कि:-
 1. यदि प्रस्तावक विभाग आवेदित 0.120 है० वन भूमि पर परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन विभाग की चौकी के पुर्ननिर्माण में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति करता है, तो आवेदित भूमि पर परियोजना के निर्माण से वन विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।
 2. वन क्षेत्राधिकारी कोसी को निर्देशित किया गया कि उक्त परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन चौकी के पुर्ननिर्माण में होने वाले व्यय का विश्लेषण कर विस्तृत प्रस्ताव मय प्रक्कलन एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
 3. साथ ही प्रस्तावक विभाग को इस आशय का सपथ पत्र/वन चौकी के निर्माण में होने वाले व्यय की वन विभाग को प्रतिपूर्ति किये जाने की वित्तीय स्वीकृति इस अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही सम्भव होगी।



(दिगन्थ नायक)

प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

Ramnagar Forest Division, Ramnagar

Name of Work:- Constuction of Forest Guard Chauki at Ramnagar Forest Compound of Kosi Range, Ramnagar forest Division, Ramnagar.

Range:- Kosi Range

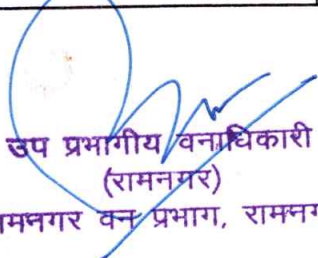
Financial year :- 2024-25

GPS Locations :- N 290 23' 899" E 790 07' 534"

GENERAL ABSTRACT OF COST

SL. NO.	NAME OF ITEM	AMOUNT (in Rs.)
1	Construction Cost of Main	1521534.29
2	Construction cost Of Boundary	115840.26
3	Sanitary works Cost	39083.40
4	Septic Tank/ Soak pit Cost	46918.37
5	Electrical Fittings Cost	23721.00
	Total	1747097.32
6	Total cost of Project	1747097.32
	SAY RS.	1744000.00


प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग रामनगर

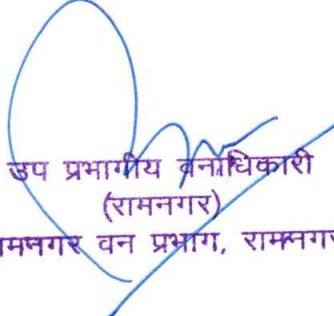

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(रामनगर)
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर


वन क्षेत्राधिकारी
कोसी वन क्षेत्र (रामनगर)

10	Centering and shuttering including strutting, propping etc., And removal of form for all height :Columns, Pillars, Piers, Abutments, Posts and Struts DSR 5.9.6	5.9.6	23.18	Sqm	961.30	22286.78
11	Steel reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending placing in position and binding all complete upto plinth level. Thermo-Mechanically Treated bars of grade Fe-500D or more, 5.22.6	5.22.6	18.26	QTL	10785.00	196979.68
12	Brick work with common burnt clay F.P.S. (non modular) bricks of class designation 7.5 in superstructure above level up to floor V level in all shapes and sizes in: Cement mortar 1:6 (1 cement : 6 coarse sand) 6.4.2	6.4.2	31.50	Cum	9105.95	286876.58
13	12 mm cement plaster of mix : 1:4 (1 cement: 4 coarse sand) 13.4.1	13.4.1	186.98	Sqm	357.35	66816.23
14	Providing and applying plaster of paris putty of 2 mm thickness over plastered surface to prepare the surface even and smooth complete. 13.26	13.26	186.98	Sqm	262.70	49118.86
15	Finishing walls with Premium Acrylic Smooth exterior paint with Silicone additives of required shade: New work (Two or more coats applied @ 1.43 ltr/10 sqm over and including priming coat of exterior primer applied @ 0.90 litre/10 sqm)	13.44.1	186.98	Sqm	148.83	27827.41
16	Providing wood work in frames of doors, windows, clerestory windows and other frames, wrought framed and fixed in position with hold fast lugs or with dash fasteners of required dia & length (hold fast lugs or dash fastener shall be paid for separately). DSR 9.1.2	9.1.2	0.54	Cum	116520.30	63357.91
17	Providing and fixing panelled or panelled and glazed shutters for doors, windows and clerestory windows fixing with butt hinges of required size with necessary screws, excluding panelling which will be paid for separately, all complete as per direction of Engineer-in-charge. (Note:- Butt hinges and necessary screws shall be paid separately) Kiln seasoned selected planks of sheesham wood' 30 mm thick shutters DSR 9.5.3.2	9.5.3.2	17.63	Sqm	3338.65	58860.40
18	Providing and fixing chromium plated brass handles with necessary screws etc, complete: 75 mm 9.92.3	9.92.3	27.00	Each	176.40	4762.80
19	Providing and fixing aluminium pull bolt bockm ISI marked, anodised (anodic coating not less than grade AC 10 as per IS: 1868) transparent or dyed to requied colour and shade, with necessary screws bolts, nut and washers etc, complete. 9.98	9.98	6.00	Each	100.80	604.80
20	Providing and fixing aluminium tower bolts, ISI marked, anodised (anodic coating not less than grade AC 10 as per IS: 1868) transparent or dyed to requied colour and shade, with necessary screws bolts, nut and washers etc, complete. 100x10 mm size. 9.97.2	9.97.2	27.00	Each	115.15	3109.05

26	Structural steel work riveted, bolted or welded in built up sections, trusses and framed work, including cutting, hoisting, fixing in position and applying a priming coat of approved steel primer all complete. Staircase Railing work and requirements of steel works for roof cover with M.s pipe and other accessories of different size DSR 10.2	10.2	1000.00	Kg	101.75	101750.00
Total						1521534.29


 प्रभागीय वनाधिकारी
 रामनगर वन प्रभाग रामनगर


 उप प्रभागीय वनाधिकारी
 (रामनगर)
 रामनगर वन प्रभाग, रामनगर


 वन क्षेत्राधिकारी
 कोसी वन क्षेत्र (रामनगर)

Ramnagar Forest Division, Ramnagar

Name of Work:- Constuction of Forest Guard Chauki at Ramnagar
Forest Compound of Kosi Range, Ramnagar forest Division, Ramnagar.

Bill Of Quantity						
S.N.	DSR CODE	DISCRIPTION OF ITEM	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
1	2.6.1	Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic excavator)/manual means over areas (exceeding 30 cm in depth, 1.5 m in width as well as 10 sqm on plan) including getting out and disposal of excavated earth lead upto 50 m and lift upto 1.5 m, as directed by Engineer-in-charge. DSR 2.6.1	3.879	Cum	177.50	688.5225
2	4.1.3	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering - All work up to plinth level : 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand (zone-III) : 4 graded stone aggregate 20 mm nominal size) DSR 4.1.3	0.6465	Cum	7878.5	5093.45025
3	6.12.2	Half brick masonry with common burnt clay F.P.S. (non modular) bricks of class designation 7.5 in foundations and plinth in : cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand) DSR 6.12.2	1.43348	Sqm	905.05	1297.366549
4	5.1.3	Providing and laying in position specified grade of reinforced cement concrete, excluding the cost of centering, shuttering, finishing and reinforcement - All work up to plinth level : 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand (zone-III) : 4 graded stone aggregate 20 mm nominal size) DSR 5.1.3	3.4815	Cum	8583.4	29883.1071
5	6.13.2	Half brick masonry with common burnt clay F.P.S. (non modular) bricks of class designation 7.5 in superstructure above plinth level up to floor V level Cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand)	29.92	Sqm	1123.8	33619.60
6	5.3	Reinforced cement concrete work in walls (any thickness), including attached pilasters, buttresses, plinth and string courses, fillets, columns, pillars, piers, abutments, posts and struts etc. above plinth level up to floor five level, excluding cost of centering, shuttering, finishing and reinforcement : 1:1.5:3 (1 cement : 1.5 coarse sand(zone-III) : 3 graded stone aggregate 20 mm nominal size)	0.74	Cum	11505.5	8558.02
7	5.9.1	Centering and shuttering including strutting, propping etc. and removal of form for : Foundations, footings, bases of columns, etc. for mass concrete	3.00	Sqm	392.15	1176.45
8	5.22.1	Steel reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, placing in position and binding all complete.	3.32	qnt	10710	35523.74
				TOTAL		115840.26

प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(रामनगर)
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

वन क्षेत्राधिकारी
कोसी वन क्षेत्र (रामनगर)

Bill of Quantity

Name of Work:- Constuction of Forest Guard Chauki at Ramnagar Forest Compound of Kosi Range,
SAINITARY

S.No.	Item Of works	DSR No.	Qty.	Unit	Rate	Amount
1	Providing and fixing white vitreous china water closet squatting pan (Indian type) : Long pattern W.C. pan of size 580 mm 17.13.1	17.13.1	1.00	Nos	1959.80	1959.80
2	Providing and fixing P.V.C. low level flushing cistern with manually controlled device (handle lever) conforming to IS : 7231, with all fittings and fixtures complete. 10 litre capacity - White 17.18.1	17.18.1	1.00	nos	1190.65	1190.65
3	Providing and fixing Stainless Steel A ISI 304 (18/8) kitchen sink as per IS:13983 with C.I. brackets and stainless steel plug 40 mm, including painting of fittings and brackets, cutting and making good the walls wherever required : Kitchen sink without drain board, 610x510 mm bowl depth 200 mm DSR 17.10.2.1	17.10.2.1	1.00	nos	3407.20	3407.20
4	Providing and fixing wash basin with C.I. brackets, 15 mm C.P. brass pillar taps, 32 mm C.P. brass waste of standard pattern, including painting of fittings and brackets, cutting and making good the walls wherever require: White Vitreous China Flat back wash basin size 450x300 mm with single 15mm C.P. brass pillar tap 17.7.7	17.7.7	2.00	Nos	1513.60	3027.20
5	Providing and fixing G.I. pipes complete with G.I. fittings and clamps, i/c cutting and making good the walls etc. 15 mm dia nominal bore. 18.10.1	18.10.1	15.00	Mtr	366.40	5496.00
6	Providing and fixing G.I. pipes complete with G.I. fittings and clamps, i/c cutting and making good the walls etc. 25 mm dia nominal bore. 18.10.3	18.10.3	10.00	Mtr	551.70	5517.00
7	Providing and fixing ball valve (brass) of approved quality, High or low pressure, with plastic floats complete : 15 mm nominal bore. 18.18.1	18.18.1	1.00	Nos	406.85	406.85
8	Providing and fixing gun metal non- return valve of approved quality (screwed end) : 25 mm nominal bore Horizontal 18.19.1.1	18.19.1	1.00	Nos	591.40	591.40
9	Providing and placing on terrace (at all floor levels) polyethylene water storage tank, IS : 12701 marked, with cover and suitable locking arrangement and making necessary holes for inlet, outlet and overflow pipes but without fittings and the base support for tank. Circular tank. 18.48A	18.48.A	1000.00	Ltr	11.00	11000.00
10	Providing and fixing C.P. brass bib cock of approved quality conforming to IS:8931 : 15 mm nominal bore. 18.49.1	18.49.1	5.00	Nos	506.80	2534.00
11	Providing and fixing C.P. brass stop cock (concealed) of standard design and of approved make conforming to IS:8931. 15 mm nominal bore. 18.52.1	18.52.1	2.00	Nos	670.45	1340.90
12	Providing and fixing on wall face unplasticised - PVC moulded fittings / accessories for unplasticised Rigid PVC rain water pipes conforming to IS : 13592 Type A, including jointing with seal ring conforming to IS : 5382, leaving 10 mm gap for thermal expansion. Bend 87.5° 110 mm bend DSR 12.5.2.1	12.5.2.1	10.50	Mtr	248.80	2612.40
	Total					39083.40

प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग रामनगर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(रामनगर)
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

वन क्षेत्राधिकारी
कोसी वन क्षेत्र (रामनगर)

Bill of Quantity

**Name of Work:- Constuction of Forest Guard Chauki at Ramnagar Forest
SEPTIC TANK AND SOAK PIT**

S.No.	Item Of works		Qty.	Unit	Rate	Amount
1	Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic excavator)/manual means over areas (exceeding 30 cm in depth, 1.5 m in width as well as 10 sqm on plan) including getting out and disposal of excavated earth lead upto 50 m and lift upto 1.5 m, as directed by Engineer-in-charge.. All kinds of soil, 2.6.1	2.6.1	5.63	Cum	177.50	998.44
2	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering - All work up to plinth level : 1:4:8 (1 Cement : 4 coarse sand (zone-III) : 8 graded stone aggregate 40 mm nominal size) 4.1.8	4.1.8	0.44	Cum	6812.00	3021.12
3	Half brick masonry with common burnt clay F.P.S. (non modular) bricks of class designation 7.5 in superstructure above plinth level up to floor V level. 6.12.2	6.12.2	15.20	Sqm	905.05	13756.76
4	Providing and fixing in position pre-cast R.C.C. manhole cover and frame of required shape and approved quality: Circular shape 450 mm internal dimensions 19.19.1.3	19.19.1.3	1.00	Nos	1169.65	1169.65
5	Providing and laying in position specified grade of reinforced cement concrete, excluding the cost of centering, shuttering, finishing and reinforcement - All work up to plinth level 5.1.3	5.1.3	0.56	Cum	8583.40	4828.16
6	Steel reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, placing in position and binding all complete upto plinth level. Thermo-Mechanically Treated bars of grade Fe-500D or more. 5.22.6	5.22.6	0.44	Qtl	10785.00	4762.25
7	Centering and shuttering including strutting, propping etc. and removal of form for all heights : Suspended floors, roofs, landings, balconies and access platform 5.9.3	5.9.3	3.75	Sqm	927.25	3477.19
8	Providing and fixing soil, waste and vent pipes : Centrifugally cast (spun) iron socket & spigot (S&S) pipe as per IS: 3989 17.35.1.2	17.35.1.2	12.00	Mtr	1092.20	13106.40
9	Providing and fixing single equal plain junction of required degree : 100x100x100 mm 17.44.1.1	17.44.1.1	2.00	Nos	517.85	1035.70
10	Providing and fixing plain bend of required degree. Sand cast iron S&S as per IS - 1729. 17.39.1.1	17.39.1.1	2.00	Nos	381.35	762.70
	Total					46918.37

प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग रामनगर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(रामनगर)
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

वन क्षेत्राधिकारी
खेसी वन क्षेत्र रामनगर

Bill of Quantity

Name of Work:- Constuction of Forest Guard Chauki at Ramnagar Forest
Compound of Kosi Range, Ramnagar forest Division, Ramnagar.

Electrical works

S.No.	Item Of works	DSR	Qty.	Unit	Rate	Amount
1	Wiring for light point/ fan point/ exhaust fan point/ call bell poin.t with 1.5 sq. mm FRLS PVC insulated copper conductor single core cable in surface I recessed medium class PVC conduit, with modular switch, modular plate, suitable GI box and earthing the point with 1.5 sq. mm FRLS PVC insulated copper conductor single core cable etc. as required. Group A	1.10.1	25.00	Nos	717.00	17925.00
2	Supplying and fixing suitable size GI box with modular plate and cover in front on surface or in recess, including providing and fixing 3 pin 5/6 A modular socket outlet and 5/6 A modular switch, connections etc. as required.	1.31	1.00	Nos	401.00	401.00
3	Supplying and fixing suitable size GI box with modular plate and cover in Front on surface or in recess, including providing and fixing 6 pin 5/6 & 15/16 A modular socket outlet and 15/16 A modular switch, connection etc. as required.	1.32	1.00	Nos	495.00	495.00
4	Supplying and fixing 5 A to 32 A rating, 240/415 V, 10 kA, "C" curve, miniature circuit breaker suitable for inductive load of following poles in the existing MCB DB complete with connections, testing and commissioning etc. as required. SINGLE POLE	2.10.1	5.00	Nos	199.00	995.00
5	Supplying and fixing following rating, double pole, 240 V, isolator in the existing MCB DB complete with connections, testing and commissioning etc. as required. 63A	2.12.2	1.00	Nos	385.00	385.00
6	Supplying and fixing following way, single pole and neutral, sheet steel, MCB distribution board, 240 V, on surface/ recess, complete with tinned copper bus bar, neutral bus bar, earth bar, din bar, interconnections, powder painted including earthing etc. as required. (But without MCBIRCCB/Isolator) 8 way, double door.	2.3.2	2.00	Nos	1760.00	3520.00
Total						23721.00

प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग रामनगर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(रामनगर)
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

वन क्षेत्राधिकारी
कोसी वन क्षेत्र (रामनगर)

Detail of measurement

Name of Work:- Constuction of Forest Guard Chauki at Ramnagar Forest Compound of Kosi Range, Ramnagar forest Division, Ramnagar.

S.No.	Item Of works	No	No/Str	L	B	H/D	Qty
1	Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic excavator)/manual means over areas (exceeding 30 cm in depth, 1.5 m in width as well as 10 sqm on plan) including getting out and disposal of excavated earth lead upto 50 m and lift upto 1.5 m, as directed by Engineer-in-charge.. All kinds of soil						
	Columns	9	1	0.900	0.90	0.900	6.56
	Excavation for long walls	1	3	5.660	0.35	0.450	2.67
	Short walls	1	2	5.260	0.35	0.450	1.66
	other intermidiate walls	1	2	2.250	0.35	0.450	0.71
		1	1	2.940	0.35	0.450	0.46
		1	1	2.910	0.35	0.450	0.46
						Total	12.52
2	Providing and laying in position cement concrete of specified grade including the cost of centering and shuttering. Ala work up to plinth level : 1:4:8 (1 Cement : 4 coarse sand (zone-III) : 8 graded stone aggregate 40 mm nominal size)						
	Below Column Footing	9	1	0.900	0.90	0.100	0.73
	Below Long wall	1	3	5.660	0.35	0.050	0.30
	Short walls	1	2	5.260	0.35	0.050	0.18
	other intermidiate walls	1	2	2.250	0.35	0.050	0.08
		1	1	2.940	0.35	0.050	0.05
		1	1	2.910	0.35	0.050	0.05
						Total	1.39
3	Brick work with common burnt clay F.P.S. (non modular) bricks of class designation 7.5 in foundation and plinth in: Cement mortar 1:6 (1 cement : 6 coarse sand)						
	Long walls	1	3	5.660	0.35	0.400	2.38
	Short walls	1	2	5.260	0.35	0.400	1.47
	other intermidiate walls	1	2	2.250	0.35	0.400	0.63
		1	1	2.940	0.35	0.400	0.41
		1	1	3.480	0.35	0.400	0.49
	Long walls	1	3	6.640	0.35	0.400	2.79
	Short walls	1	2	6.240	0.35	0.400	1.75
	other intermidiate walls	1	2	2.250	0.35	0.400	0.63
		1	1	3.590	0.35	0.400	0.50
		1	1	3.590	0.35	0.400	0.50
						Total	11.55
4	Providing and laying in position specified grade of reinforced cement concrete, excluding the cost of centering, shuttering, finishing and reinforcement - All work up to plinth level : 1:1.5:3 (1 cement : 1.5 coarse sand (zone-III): 3 graded stone aggregate 20 mm nominal size)						
	Column Footing	9	1	0.90	0.90	0.800	5.83
	Columns below plinth	9	1	0.35	0.35	0.400	0.44
	Plinth beam	1	3	7.69	0.35	0.230	1.86
		1	2	6.24	0.35	0.230	1.00
		1	2	2.25	0.35	0.230	0.36
		1	1	4.11	0.35	0.230	0.33
		1	2	3.60	0.35	0.230	0.58
	Kitchen Slip	1	1	2.60	0.60	0.100	0.16
		1	1	1.50	0.60	0.100	0.09

Columns		4	9	0.23		2.80	23.18
						Total	23.18
11	Steel reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending placing in position and binding all complete upto plinth level. Theremo-Mechanically Treated bars of grade Fe-500D or more,	1	1	25.85	0.9	0.785	18.26
12	Brick work with common burnt clay F.P.S. (non modular) bricks of class designation 7.5 ,230mm thick in superstructure above level up to floor V level in all shapes and sizes in: Cement mortar 1:6 (1 cement : 6 coarse sand)						
	Long wall	1	2	7.00	0.23	2.90	9.34
	Short walls	1	1	6.60	0.23	2.90	4.40
		1	1	5.39	0.23	2.90	3.60
	Intermediate walls	1	2	2.60	0.23	2.90	3.47
		1	1	4.23	0.23	2.90	2.82
		1	1	3.40	0.23	2.80	2.19
		1	1	3.60	0.23	2.80	2.32
	Parapet wall on roof	1	2	8.90	0.23	0.90	3.68
		1	2	8.04	0.23	0.90	3.33
	Brick work on staircase	1	22	1.20	0.30	0.15	1.19
						Total	36.33
	Deduction for						
	Door	1	4	1.00	0.23	2.10	1.93
	Door 2	1	2	0.75	0.23	1.80	0.62
	Window W1	1	3	1.50	0.23	1.20	1.24
	W2	1	3	1.20	0.23	1.20	0.99
	ventilators V1	1	1	0.60	0.23	0.30	0.04
						total	4.83
						NETT	31.50
13	12 mm cement plaster of mix : 1:4 (1 cement: 4 coarse sand)						
	inside						
	Inside Kitchen	1	2	2.10		3.05	12.81
		1	2	2.60		3.05	15.86
	Lobby	1	2	3.17		3.05	19.34
		1	2	2.60		3.05	15.86
	Toilet/bathroom	1	2	2.60		3.00	15.60
		1	2	1.50		3.00	9.00
	Room 1	1	2	3.40		2.80	19.04
		1	2	4.23		2.80	23.69
	Room 2	1	2	3.60		2.80	20.16
		1	2	3.03		2.80	16.97
	outside						
		1	2	7.69		3.30	50.75
		1	2	7.55		3.30	49.83
						Total	219.08
	Deduction for (Both side)						
	Door 1	4	2	1.00		2.10	16.80
	Door2	2	2	0.75		1.80	5.40
	Window W1	3	1	1.50		1.20	5.40
	W2	3	1	1.20		1.20	4.32

	ventilator v2	1	1	0.60		0.30	0.18
						Total	32.10
						NETT	186.98
14	Providing and applying plaster of paris putty of 2 mm thickness over plastered surface to prepare the surface even and smooth complete.	1	2	Same as plaster			186.98
15	Finishing walls with Premium Acrylic Smooth exterior paint with Silicone additives of required shade: New work (Two or more coats applied @ 1.43 ltr/10 sqm over and including priming coat of exterior primer applied @ 0.90 litre/10 sqm)			Same as plaster			186.98
16	Providing wood work in frames of doors, windows, clerestory windows and other frames, wrought framed and fixed in position with hold fast lugs or with dash fasteners of required dia & length (hold fast lugs or dash fastener shall be paid for separately). DSR 9.1.2						
	D1	4	2	2.1	0.075	0.1	0.126
		4	1	1.2	0.075	0.1	0.036
	D2	2	2	1.8	0.075	0.1	0.054
		2	1	0.95	0.075	0.1	0.01425
	W1	3	2	1.7	0.075	0.1	0.0765
		3	4	1	0.075	0.1	0.09
	W2	3	2	1.4	0.075	0.1	0.063
		3	3	1	0.075	0.1	0.0675
	V1	1	2	0.8	0.075	0.1	0.012
		1	2	0.3	0.075	0.1	0.0045
						Total	0.54
17	Providing and fixing panelled or panelled and glazed shutters for doors, windows and clerestory windows fixing with butt hinges of required size with necessary screws, excluding panelling which will be paid for separately, all complete as per direction of Engineer-in-charge. (Note:- Butt hinges and necessary screws shall be paid separately) Kiln seasoned selected planks of sheesham wood' 30 mm thick shutters DSR 9.5.3.2						
	D1	1	4	1		2	8
	D2	1	2	0.75		1.7	2.55
	W1	1	3	1.3		1	3.9
	W2	1	3	1		1	3
	V1	1	1	0.6		0.3	0.18
							17.63
18	Providing and fixing chromium plated brass handles with necessary screws etc, complete: 75 mm	1	27				27.00
19	Providing and fixing aluminium pull bolt bockm ISI marked, anodised (anodic coating not less than grade AC 10 as per IS: 1868) transparent or dyed to requied colour and shade, with necessary screws bolts, nut and washers etc, complete.	1	6				6.00
20	Providing and fixing aluminium tower bolts, ISI marked, anodised (anodic coating not less than grade AC 10 as per IS: 1868) transparent or dyed to requied colour and shade, with necessary screws bolts, nut and washers etc, complete.250x10 mm	1	27				27.00

21	Finishing with Deluxe Multi surface paint system for interiors and exteriors using Primer						
	D1	4	2	1	2	16	
	D2	2	2	0.75	1.7	5.1	
	W1	3	2	1.3	1	7.8	
	W2	3	2	1	1	6	
	V1	1	2	0.6	0.3	0.36	
							35.26
22	Providing and laying vitrified floor tiles in different sizes (thickness to be specified by						
	Room1	1	1	3.40	4.23		14.38
	Room 2	1	1	3.60	3.03		10.91
	Kitchen	1	1	2.10	2.60		5.46
	Lobby	1	1	3.17	2.60		8.24
	Toilet/bathroom	1	1	2.60	1.50		3.90
						Total	42.89
23	Providing and fixing Ist quality ceramic glazed wall tiles conforming to IS: 15622						
	Toilet/bathroom walls	1	2	2.60		2.10	10.92
		1	2	1.50		2.10	6.30
	Deductions for door	-1	1	0.75		1.80	-1.35
						Total	15.87
24	Filling available excavated earth (overfilling)	1	2	4.87	6.09	0.45	26.69
		1	1	1.20	1.50	0.45	0.81
		1	1	1.73	1.50	0.45	1.16
						Total	28.67
25	Providing and fixing pre-coated galvanised iron profile sheets (size, shape and pitch of						
	Roof cover	1	2	4.80	8.89		85.34
	Ridge cover	1	1	8.89	0.45		4.00
						Total	89.34
26	Structural steel work riveted, bolted or welded in built up sections, trusses and framed						
	staircase	1	1				150
	Roof covers, above 2.1 mtr height	1	1				850
						Total	1000.00

प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग रामनगर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(रामनगर)
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

वन क्षेत्राधिकारी
कोसी वन क्षेत्र (रामनगर)

Detail Of measurement

Name of Work:- Constuction of Forest Guard Chauki at Ramnagar Forest Compound of Kosi Range, Ramnagar forest Division, Ramnagar.

SAINTITARY

S.No.	Item Of works	No	No/Str	L	B	H/D	Qty
1	Providing and fixing white vitreous china water closet squatting pan (Indian type) : Long pattern W.C. pan of size 580 mm	1	1		-	-	1.00
2	Providing and fixing P.V.C. low level flushing cistern with manually controlled device (handle lever) conforming to IS : 7231, with all fittings and fixtures complete. 10 litre capacity - White	1	1				1.00
3	Providing and fixing Stainless Steel A ISI 304 (18/8) kitchen sink as per IS:13983 with C.I. brackets and stainless steel plug 40 mm, including painting of fittings and brackets, cutting and making good the walls wherever required : Kitchen sink without drain board, 610x510 mm bowl depth 200 mm DSR 12.10.2.1	1	1				1.00
4	Providing and fixing wash basin with C.I. brackets, 15 mm C.P. brass pillar taps, 32 mm C.P. brass waste of standard pattern, including painting of fittings and brackets, cutting and making good the walls wherever require: White Vitreous China Wash basin size 630x450 mm with a single 15 mm C.P. brass pillar tap	1	2		-	-	2.00
5	Providing and fixing G.I. pipes complete with G.I. fittings and clamps, i/c cutting and making good the walls etc. 15 mm dia nominal bore.	1	1	15.00	-	-	15.00
6	Providing and fixing G.I. pipes complete with G.I. fittings and clamps, i/c cutting and making good the walls etc. 25 mm dia nominal bore.	1	1	10.00	-	-	10.00
7	Providing and fixing ball valve (brass) of approved quality, High or low pressure, with plastic floats complete : 15 mm nominal bore.	1	1	1.00	-	-	1.00
8	Providing and fixing gun metal non- return valve of approved quality (screwed end) : 25 mm nominal bore Horizontal	1	1	1.00	-	-	1.00
9	Providing and placing on terrace (at all floor levels) polyethylene water storage tank, IS : 12701 marked, with cover and suitable locking arrangement and making necessary holes for inlet, outlet and overflow pipes but without fittings and the base support for tank. Circular tank	1	2	500.00	-	-	1000.00
10	Providing and fixing C.P. brass bib cock of approved quality conforming to IS:8931 : 15 mm nominal bore.	1	5		-	-	5.00
11	Providing and fixing C.P. brass stop cock (concealed) of standard design and of approved make conforming to IS:8931. 15 mm nominal bore.	1	2		-	-	2.00
12	Providing and fixing on wall face unplasticised - PVC moulded fittings / accessories for unplasticised Rigid PVC rain water pipes conforming to IS : 13592 Type A, including jointing with seal ring conforming to IS : 5382, leaving 10 mm gap for thermal expansion. Bend 87.5° 110 mm bend DSR 12.5.2.1						
			1	3	3.5		10.5

प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग रामनगर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(रामनगर)
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

वन विभाग
रामनगर वन प्रभाग

Detail Of measurement
Name of Work:- Constuction of Forest Guard Chauki at Ramnagar Forest
Compound of Kosi Range, Ramnagar forest Division, Ramnagar.

SEPTIC TANK AND SOAK PIT

S.No.	Item Of works	No	No/Str	L	B	H/D	Qty
1	Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic	1	1	1.50	2.50	1.50	5.63
							5.63
2	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering - All work up to plinth level. 1:4:8 (1 Cement : 4 coarse	1	3	1.50	0.23	0.10	0.10
		1	2	2.50	0.23	0.10	0.12
		1	1	1.50	1.50	0.10	0.23
							0.44
3	Half brick masonry with common burnt clay F.P.S. (non modular) bricks of class designation 7.5 in	1	2	2.50		1.60	8.00
		1	3	1.50		1.60	7.20
							15.20
4	Providing and fixing in position pre-cast R.C.C. manhole cover and	1	1	-	-	-	1.00
							1.00
5	Providing and laying in position specified grade of reinforced	1	1	2.50	1.50	0.15	0.56
							0.56
6	Steel reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, placing in position and binding all complete upto plinth level. Thermo-Mechanically Treated bars of grade Fe-500D or more.	1	1.00	0.563	1.00	0.785	0.44
7	Centering and shuttering including strutting, propping etc. and removal	1	1	2.50	1.50	-	3.75
							3.75
8	Providing and fixing soil, waste and vent pipes : Centrifugally cast (spun) iron socket & spigot (S&S) pipe as per IS: 3989	1	2	6.00	-	-	12.00
9	Providing and fixing single equal plain junction of required degree : 100x100x100 mm	1	2	-	-	-	2.00
10	Providing and fixing plain bend of required degree. Sand cast iron S&S as per IS - 1729.	1	2	-	-	-	2.00

प्रभागीय वनाधिकारी
 रामनगर वन प्रभाग रामनगर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
 (रामनगर)
 रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

वन क्षेत्राधिकारी
 कोसी वन क्षेत्र (रामनगर)

Details of Measurement

Name of Work:- Constuction of Forest Guard Chauki at Ramnagar Forest Compound of Kosi Range, Ramnagar forest Division, Ramnagar.

Electrical works

S.No.	Item Of works	Qty.	Unit
1	Wiring for light point/ fan point/ exhaust fan point/ call bell point with 1.5 sq. mm FRLS PVC insulated copper conductor single core cable in surface I recessed medium class PVC conduit, with modular switch, modular plate, suitable GI box and earthing the point with 1.5 sq. mm FRLS PVC insulated copper conductor single core cable etc. as required. Group A 1.10.1	25.00	Nos
2	Supplying and fixing suitable size GI box with modular plate and cover in front on surface or in recess, including providing and fixing 3 pin 5/6 A modular socket outlet and 5/6 A modular switch, connections etc. as required. 1.31	1.00	Nos
3	Supplying and fixing suitable size GI box with modular plate and cover in Front on surface or in recess, including providing and fixing 6 pin 5/6 & 15/16 A modular socket outlet and 15/16 A modular switch, connection etc. as required. 1.32	1.00	Nos
4	Supplying and fixing 5 A to 32 A rating, 240/415 V, 10 kA, "C" curve, miniature circuit breaker suitable for inductive load of following poles in the existing MCB DB complete with connections, testing and commissioning etc. as required. SINGLE POLE 2.10.	5.00	Nos
5	Supplying and fixing following rating, double pole, 240 V, isolator in the existing MCB DB complete with connections, testing and commissioning etc. as required. 63A . 2.12.2	1.00	Nos
6	Supplying and fixing following way, single pole and neutral, sheet steel, MCB distribution board, 240 V, on surface/ recess, complete with tinned copper bus bar, neutral bus bar, earth bar, din bar, interconnections, powder painted including earthing etc. as required. (But without MCBIRCCB/Isolator) 8 way, double door. 2.3.2	2.00	Nos

प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग रामनगर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(रामनगर)
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

वन क्षेत्राधिकारी
कोसी वन क्षेत्र (रामनगर)

Ramnagar Forest Division, Ramnagar

Name of Work:- Constuction of Forest Guard Chauki at Ramnagar Forest Compound of Kosi Range, Ramnagar forest Division, Ramnagar.

Details of measurement

S.no	Description	Nos	L	B	H	QTY	UNIT
1	Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic excavator)/manual means over areas (exceeding 30 cm in depth, 1.5 m in width as well as 10 sqm on plan) including getting out and disposal of excavated earth lead upto 50 m and lift upto 1.5 m, as directed by Engineer-in-charge. DSR 2.6.1						
	Column	6	0.6	0.8	0.8	2.304	
	Wall	5	3	0.35	0.3	1.575	
						Total	3.879 Cum
2	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering - All work up to plinth level :1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand (zone-III) : 4 graded stone aggregate 20 mm nominal size) DSR 4.1.3						
	Column	6	0.8	0.8	0.1	0.384	
	Wall	5	3	0.35	0.05	0.2625	
						Total	0.6465 Cum
3	Half brick masonry with common burnt clay F.P.S. (non modular) bricks of class designation 7.5 in foundations and plinth in : cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand) DSR 6.12.2						
	Wall	5	2.77	0.23	0.45	1.4335	cum
4	Providing and laying in position specified grade of reinforced cement concrete, excluding the cost of centering, shuttering, finishing and reinforcement - All work up to plinth level : 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand (zone-III) : 4 graded stone aggregate 20 mm nominal size) DSR 5.1.3						
	Column Footing	6	0.8	0.8	0.7	2.688	
	Plinth Beam	1	15	0.23	0.23	0.7935	
						Total	3.4815 Cum
5	Half brick masonry with common burnt clay F.P.S. (non modular) bricks of class designation 7.5 in superstructure above plinth level up to floor V level Cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand)						
		6	2.77		1.8	29.916	
						total	29.916 Sqm
6	Reinforced cement concrete work in walls (any thickness), including attached pilasters, buttresses, plinth and string courses, fillets, columns, pillars, piers, abutments, posts and struts etc. above plinth level up to floor five level, excluding cost of centering, shuttering, finishing and reinforcement : 1:1.5:3 (1 cement : 1.5 coarse sand(zone-III) : 3 graded stone aggregate 20 mm nominal size) DSR 5.2.2						
	column	6	0.23	0.23	1.8	0.5713	
	Top Beam	1	15	0.115	0.1	0.1725	
						Total	0.7438 Cum
7	Centering and shuttering including strutting, propping etc. and removal of form for : Foundations, footings, bases of columns, etc. for mass concrete						
		2	15	0.1		3	Sqm
8	Steel reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, placing in position and binding all complete. 5.22.1						
		1	4.225	1	0.785	3.3169	Qntl

प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग रामनगर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(रामनगर)
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

रामनगर वन प्रभाग
रामनगर

श्री गुरु गुरु
उप राज्य,
उप राज्य

गोपन अभिप्रायों एवं धन संरक्षण,
एन उपराज्य प्रशा. उ.प्र. 2000

संख्या : दिनांक 28 जून, 2000

विषय :- प्रस्ताव नीतिगत में राजस्व में 2000 राज्य तद्वत् परिचयन निगम के अंतर्गत
के निर्माण से 0.505 से 0.505 आरक्षित वनभूमि का उ.प्र. राज्य तद्वत् परिचयन निगम
को 30 वर्षों के लिये पर दिया जाना ।

—0—

प्रस्ताव,

उपराज्य निगम पर आय के पत्र सी-3037/11सी-804 [नीतिगत], दिनांक 12-6-98
के अंतर्गत में मुझे यह पत्र का निवेदन हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रकाश नीतिगत के
राजस्व में उ.प्र. राज्य तद्वत् परिचयन निगम के अंतर्गत के निर्माण से 0.505 से 0.505
भूमि उ.प्र. राज्य तद्वत् परिचयन निगम को 30 वर्षों की सीमा पर हस्तांतरित किये जाने की
नीतिगत भारत सरकार, परराज्य एवं वन मंत्रालय के पत्र सी-98सी/15/1716/98/एफ सी/55]
दिनांक 22-10-98 में प्रस्ताव स्वीकृति के आधार पर उसमें उल्लिखित शर्तों का समावेश करते
हुए निम्न शर्तों पर प्रदान करती हैं :-

1. उपराज्य निगम पर दिये जाने के बाद श्री प्रस्ताव वनभूमि का उपयोग उक्त वापक द्वारा
निगम निगम प्रयोग के लिये ही किया जायेगा तथा उक्त भूमि अथवा उसके किसी
भाग को किसी अन्य विभाग, स्थल अथवा व्यक्तियों को हस्तांतरित नहीं किया
जायेगा।

2. निगम निगम के सम्बंधित अधिकारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों
के अधीन या उसके सम्बंधित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं
पहुँचायेगा और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचती है अथवा
पहुँचायी जाती है तो उसके लिये सम्बंधित प्रशासनिक वनाधिकारी द्वारा निर्धारित
प्रतिफल वापक विभाग द्वारा देय होगा।

3. उक्त वनभूमि परदाधारक के उपयोग में सीमा अधिक है अन्यत्र तब तक बनी रहेगी, जब
तक कि परदाधारक को उसके उक्त प्रयोग से लाभ प्राप्त रहेगी। यदि परदाधारक
को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति
उक्त वनभूमि अथवा उसका सारा भाग जो परदाधारक के लिये आवश्यक न रहे, वन
विभाग, उ.प्र. सरकार को दिया किसी प्रतिफल का भुगतान किये यथास्थिति वापक
प्राप्त हो जायेगी।

4. वन विभाग के कार्यकारी/अधिकारी अथवा उनके अभिलेखों को किसी भी समय जब
वे आवश्यक लगें, प्रस्ताव वनभूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

5. प्रस्ताव वनभूमि की परामर्श विकासात्मक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

6. वापक विभाग के काम पर पुनः अपना वनभूमि में वन्यजंतु वन्यजीव संरक्षण प्रशासनिक
कराया जायेगा।

7. वापक विभाग द्वारा प्रस्तावित होने वाली सुविधा है । उक्त सुविधा का प्रस्तावित वनभूमि
के रिक्त स्थानों पर प्रशासनिक किया जायेगा।

अथवा अन्वय ही साधु-अथवा अन्य ईश्वर साधु की प्राप्ति की प्राप्ति।

हो' और उम्मा प्राप्त किया जाना आवश्यक हो
तो यह विषय उम्मा से निगम द्वारा ही निस्तारित किया जायेगा।

12-5-2008 को सम्बन्ध पाठ मीनारिथि की वीर में लिखे गये निर्णय के अनुसार प्रस्तावित मन्त्रालय का सीधे लिखाया 80-1/- वार्षिक की दर से लिया जायेगा तथा मन्त्रालय का प्रीनियम नहीं लिया जायेगा।

पञ्चांगारम्भ - रात्रि उत्पत्ति शक्ति एवं अन्य सामान्य शक्तियों को सम्मिलित करती हुये एक पञ्चांगारम्भ का आदेश प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे शासकीय हस्तलिखित से सिद्ध किया जायेगा। ये पदोपलब्ध है विधेयक के अन्तर्गत प्रमाणित किया जायेगा।

शासनादेश संख्या-198/7-जी.सी.ओ.-89-3-89, दिनांक 14-6-89 के अनुसार निर्धारित विधेयक प्रमाणित किया जायेगा। पूर्व में 8070-अन्व प्रशासनिक सेवा-01-अन्व प्रमाणन-501-सेवा में और सेवा सीमा-01-जी.सी.ओ. के तहत सुशासन की उपायों के अन्तर्गत प्रदान की जायेगी। शासनादेश की प्रतीति पदोपलब्ध है आदेश के तहत उपलब्ध राशी जायेगी।

2- यह आजीविका विभाग के आगतियों की सूची 1-1-1950 का-2000 दिनांक 1-1-1950 में प्राप्त उनकी सहपति तथा दिनांक 1-1-1950 की तिथि पर प्राप्त अभिलेखों के साथ ही मिले गये विभाग के पुस्तक में आगे मिले का यह है।

№ 47-47, стр. 590 (1/16-2-00) 1978

प्रतिनिधि निम्नलिखित को समर्थन दे सकते हैं:

१- मृत्यु वन हरीकृष्ण विजयवा, बालासोर, जिला बाँके
मिथला देवः बी-१/२४-३०-७५, पत्नी काशीदेवी

संस्कृत-संज्ञा-सूची

100-443888-100

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1. **Introduction**

100

100

प्रेषक,

डब्ल्यू० लौंगवा,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

संख्या जी०आई०-855/7-1-2005-800(928)/

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तरांचल, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण विभाग

देहरादून दिनांक 21 मार्च, 200

विषय:- जनपद-नैनीताल में रामनगर वन प्रभाग के अन्तर्गत वन विभाग के लीसा डिपो की भूमि को बस अड्डे के निर्माण हेतु 0.6230 हे० वन भूमि का उत्तरांचल परिवहन निगम को 30 वर्षों की लीज पर दि जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2478/1जी-936(नैनी०) दिनांक 16-03-2005 के सन्दर्भ में मु- यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-नैनीताल में रामनगर वन प्रभाग के अन्तर्गत व- विभाग के लीसा डिपो की भूमि को बस अड्डे के निर्माण हेतु 0.6230 हे० वन भूमि का उत्तरांचल परिवहन- निगम को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प- संख्या-8बी/यू.सी.पी./09/144/2004/एफ०सी०/1822 दिनांक 03-03-2005 में प्रदत्त स्वीकृति के आधा- पर उसमें उल्लिखित शर्तों का समावेश करते हुए निम्न शर्तों पर प्रदान करते हैं:-

1. प्रश्नगत वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रश्नगत वन भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा तथा उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
3. प्रयोक्ता एजेंसी के सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेगा और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचायी जाती है, अथवा कोई क्षति पहुंचती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेंसी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा देय होगा।
4. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेंसी के उपयोग में लीज अद्वि के अन्दर तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेंसी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेंसी को उक्त वन भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वन भूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रयोक्ता एजेंसी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर के भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।
5. वन विभाग के कर्मचारी/अधिकारी अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, प्रश्नगत वन भूमि की निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
6. सम्बन्धित वन क्षेत्र में परियोजना में कार्य करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी अपनी ईंधन की आवश्यकता के लिए वनों को हानि न पहुंचाये, इसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उन्हें ईंधन की लकड़ी अथवा अन्य ईंधन सामग्री की आपूर्ति की जायेगी।
7. प्रस्तावित वन भूमि में वृक्षों का पातन केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही वन विभाग की पूर्वानुमति से उत्तरांचल वन विकास निगम के माध्यम से किया जायेगा।
8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित वन भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न हो।
9. प्रयोक्ता एजेंसी के व्यय पर वन विभाग द्वारा परियोजना से प्रभावित वृक्षों का दस गुनी संख्या में वृक्षों का रोपण किया जायेगा।

10. प्रयोक्ता एजेंसी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्यक्षेत्र के आस-पास रिक्त पड़े स्थान उचित संख्या में वृक्षारोपण किया जायेगा।
11. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-नैदानिक के चुझावों का कड़ा अनुपालन पालन किया जायेगा।
12. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस क्षेत्र में पाये जाने वाली स्थानीय वनस्पति व वन्य जीवों को कोई क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
13. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदुपरान्त रख-रखाव के दौरान स्थानीय वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
14. मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-202/95 में दाखिल आई.ए. संख्या-566 में पारित आदेश दिनांक 12-11-2002 व इस सम्बन्ध में उत्तरांचल शासन द्वारा जारी शासनादेश सं०-329/7(व.भू.ह.)-2003-85(43)/2003 दिनांक 31-10-2003 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही करने से पूर्व प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी से एन०पी०वी० की धनराशि एकत्रित कर उक्त धनराशि को क्षतिपूर्क वृक्षारोपण प्रबन्ध एवं नियोजन एजेंसी (CAMP) में स्थानान्तरित किया जायेगा व इस सम्बन्ध में नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून को भी सूचित किया जायेगा।
15. प्रसंगत वन भूमि का वर्तमान बाजार दर पर जिलाधिकारी से मूल्य निर्धारित कराकर, मूल्य के बराबर प्रीमियम एवं प्रीमियम का दस प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट लेकर प्रयोक्ता एजेंसी को वनभूमि का कब्जा दिया जायेगा।
16. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उक्त शर्तों एवं अन्य सामान्य शर्तों को सम्मिलित करते हुए एक पट्टा विलेख का आलेख्य प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे शासकीय हस्तान्तरक से विधीक्षित करवाया जायेगा। ऐसे पट्टा विलेख के विधीक्षण हेतु न्याय (कन्वेयसिंग) कोषक के शासनादेश संख्या: 198 /7-जी-सी-89-3-89, दिनांक 19-6-89 के अनुसार निर्धारित, विधीक्षण शुल्क विलेख विधीक्षण से पूर्व लेखाशीर्षक-0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-01-न्याय प्रशासन-501-सेवाएँ और सेवा फीस-01-की गई सेवाओं के लिए भुगतान की उगाही के अन्तर्गत देजरी में जमा कर देजरी चालान की प्रति पट्टा विलेख के आलेख्य के साथ उपलब्ध करायी जायेगी।
17. प्रयोक्ता एजेंसी के व्यय पर प्रत्यावर्तित वन भूमि पर आर०सी०सी० पिलर्स से (फोर बियरिंग व बैक बियरिंग लेकर) सीमांकन किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर पर जन. भू.गो हस्तान्तरण के अभिलेखों में भी अंकित किया जायेगा।
2. यह आदेश वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, उत्तरांचल शासन द्वारा जारी कार्यवाही सं०-110/26/प्र०स०-आ०व०प्रा०वि० दि०-4-1-2001 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किया जा रहा है।

संख्या-855/7-1-2005-800(928)/2004 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, पंचम तल, अलीगंज, लखनऊ।
2. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन।
4. प्रमुख सचिव, परिवहन, उत्तरांचल शासन।
5. जिलाधिकारी, नैनीताल।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर।
7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तरांचल परिवहन निगम, नैनीताल।

भवदीय
 (उक्त लौगवा)
 अपर सचिव।

अज्ञा से

(उक्त लौगवा)

कार्यालय मण्डलीय प्रबन्धक (संगठन)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम कृष्ण मण्डल काठगोदाम।

पत्रांक 888

वेबोआर/4-भूमि भवन / रामनगर बस स्टैंड/22

दिनांक 28/03/2023

सेवा में,

— मेल द्वारा —

प्रभागीय वनाधिकारी

रामनगर वनप्रभाग

रामनगर, नैनीताल।

विषय:-

रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना हेतु 0.120 हे० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक, अपने कार्यालय पत्रांक-2725/12-1 दिनांक 18/03/2023 का सारांश लेने का कष्ट करेंगे। उक्त सम्बन्ध में सादर अवगत करना है वन प्रभाग के कोसी राजिव अन्तर्गत रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना हेतु 0.120 हे० जो वन विभाग की भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित है। उक्त भूमि के सापेक्ष रोडवेज बस स्टेशन से लगी रामने की ओर की 0.1526 हे० भूमि जो वन विभाग की ही है, यह भूमि वन विभाग की ही है यह भूमि बस पोर्ट संगठन हेतु एवं सार्वजनिक हित में और अधिक उपयुक्त होगी।

अतः उपरोक्त के क्रम में सादर अनुरोध है कि रोडवेज बस स्टेशन से लगी रामने की ओर की 0.1526 हे० भूमि जनहित एवं राजकीय हितों की दृष्टि से उत्तराखण्ड परिवहन निगम के पक्ष में हस्तान्तरित करने की कृपा करेंगे।

सादर।

भवदीय

मंडलीय प्रबन्धक (संगठन)
काठगोदाम

प्रतिलिपि:-

1. महाप्रबन्धक (तकनीकी) निगम मुख्यालय देहरादून को सादर सूचनार्थ।
2. सहायक अभियन्ता (भवन), निगम मुख्यालय देहरादून को सादर सूचनार्थ।
3. सहायक महाप्रबन्धक रामनगर को सूचनार्थ।

मंडलीय प्रबन्धक (संगठन)
काठगोदाम



Note : Indicative map not in scale

प्रमाणिकीय कनाधिकारी
समनगर वन प्रमाणिकीय सलमनगर

प्रपत्र-8

परियोजना का नाम-

विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक विवरण व उनके निरस्त किये जाने का कारण का
प्रमाण - पत्र

संरेखण नं०	प्रभावित वन भूमि (हे० में)	प्रभावित वृक्षों की संख्या	मार्ग की लम्बाई	अन्य कारण (एच.पी.बैण्ड व अन्य भू-गर्भीय कारण)
संरेखण-1	0.012 हे०	4 वृक्ष	-	-
संरेखण-2	-	-	-	-
संरेखण-3	-	-	-	-

उक्त तीनों संरेखणों में से संरेखण-1 उपयुक्त है।

ह०/-
प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

वन क्षेत्राधिकारी
कोसी वन क्षेत्र
(रामनगर वन प्रभाग रामनगर)
गैंगोताल

ह०/-
प्रयोक्ता एजेन्सी
बृहत्तराखण्ड परिवहन निगम
काठमांडौ

नोट :- यह सूचना प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

डिजिटल मैप- जनपद नैनीताल के रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी हुई अवशेष 0.120 है० वन भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को हस्तान्तरण ।



79°06'00"

79°07'00"

79°08'00"

79°09'00"

29°25'00"

29°25'00"

29°24'00"

29°24'00"

29°23'00"

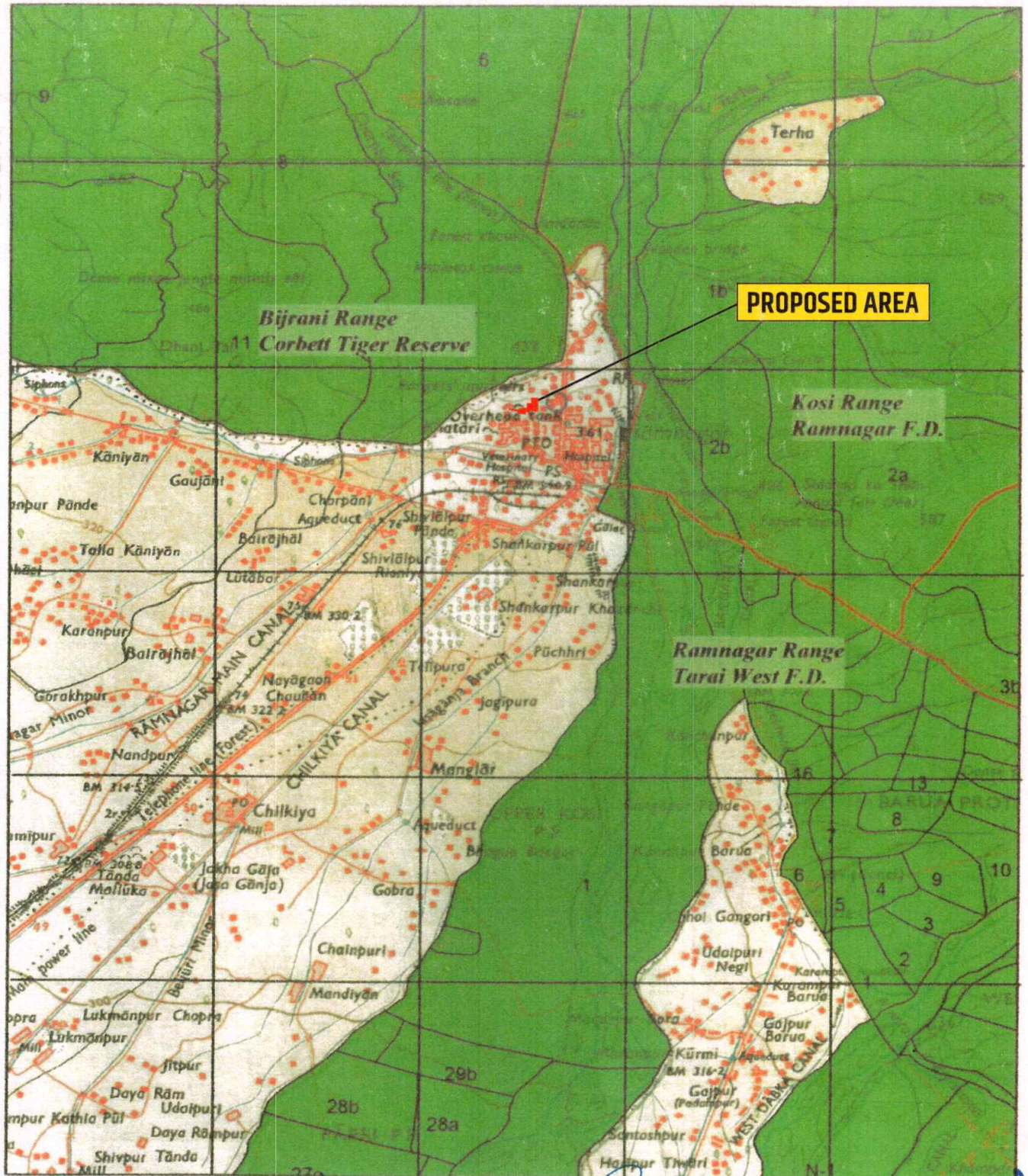
29°23'00"

29°22'00"

29°22'00"

29°21'00"

29°21'00"



79°06'00"

79°07'00"

79°08'00"

79°09'00"

Legend

Proposed_Land

Reserve Forest Area

Reserve Forest Boundary

Range_Boundary

Division_Boundary

प्रभागीय वनाधिकारी

रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

उप-प्रभागीय वनाधिकारी

(रामनगर)

रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

उपजिलाधिकारी

रामनगर (नैनीताल)

मण्डलाय प्रबन्धक (सहायक),
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
काठगोदाव.

प्रवीण कुमार त्यागी
(राजस्व निरीक्षक)

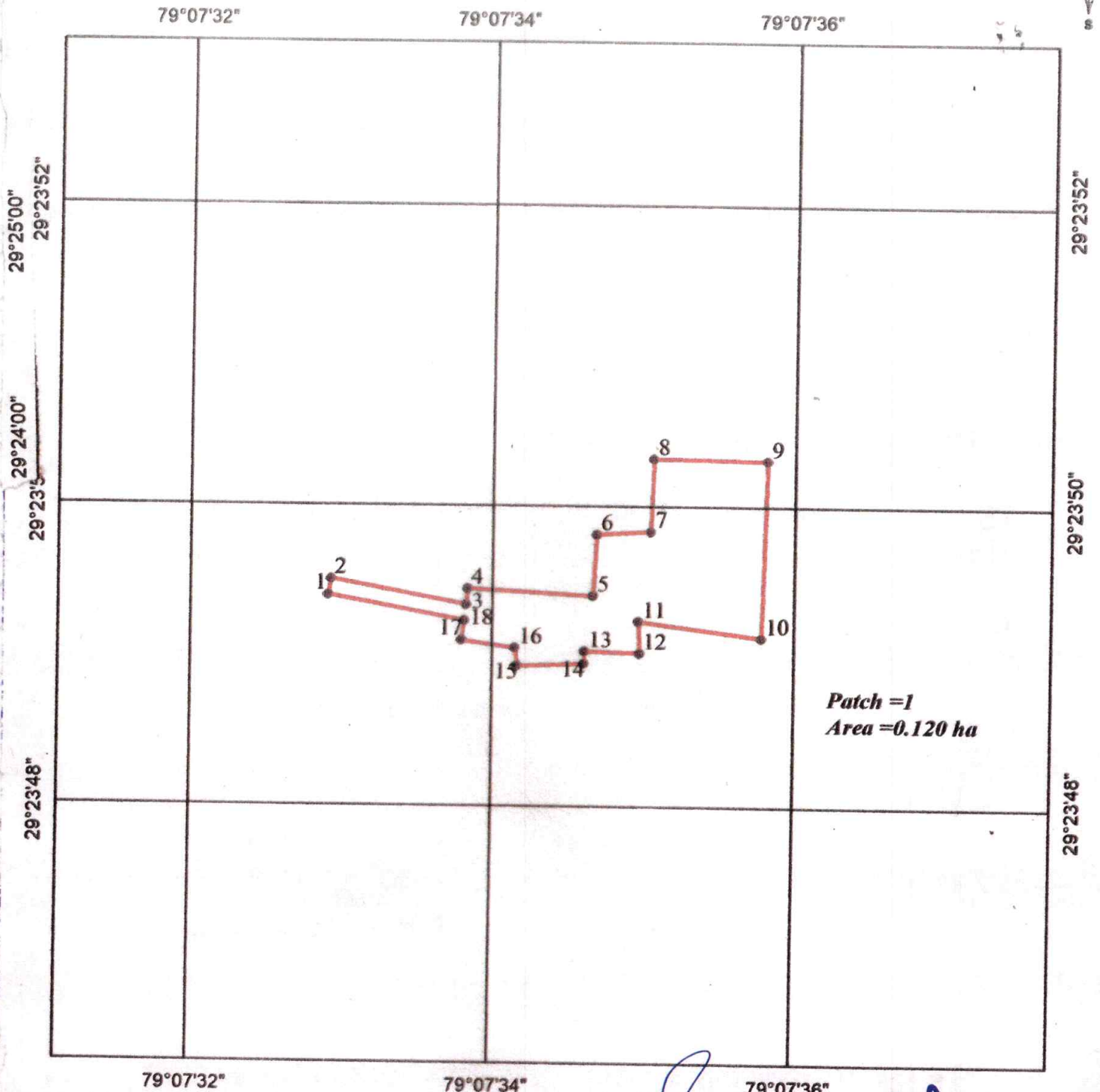
वन क्षेत्राधिकारी

कोसी वन क्षेत्र

(रामनगर वन प्रभाग रामनगर)

नैनीताल

जिया रफरन्स मप- जनपद ननीताल क रामनगर म बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी हुई अवशेष 0.120 है० वन भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को हस्तान्तरण ।



Legend

GPS_Points

Proposed_Land

0.000 0.015 0.030 KM

प्रभागीय वन अधिकारी
(रामनगर)
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

उपजिलाधिकारी
रामनगर (ननीताल)

प्रभागीय वन अधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

मुख्यालय प्रबंधक (संचालन)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
लखनौदास,

तेहसीलदार रामनगर
जनपद ननीताल
प्रवीण कुमार त्यागी
(राजस्व निरीक्षक)

वन क्षेत्राधिकारी
कोसी वन क्षेत्र

(रामनगर वन प्रभाग रामनगर)

ID	Longitude	Latitude	ID	Longitude	Latitude
1	79° 7'32.91"E	29°23'49.40"N	10	79° 7'35.78"E	29°23'49.13"N
2	79° 7'32.93"E	29°23'49.51"N	11	79° 7'34.96"E	29°23'49.23"N
3	79° 7'33.83"E	29°23'49.34"N	12	79° 7'34.97"E	29°23'49.02"N
4	79° 7'33.83"E	29°23'49.45"N	13	79° 7'34.61"E	29°23'49.03"N
5	79° 7'34.66"E	29°23'49.40"N	14	79° 7'34.61"E	29°23'48.95"N
6	79° 7'34.69"E	29°23'49.81"N	15	79° 7'34.16"E	29°23'48.93"N
7	79° 7'35.04"E	29°23'49.83"N	16	79° 7'34.15"E	29°23'49.05"N
8	79° 7'35.06"E	29°23'50.32"N	17	79° 7'33.79"E	29°23'49.10"N
9	79° 7'35.81"E	29°23'50.31"N	18	79° 7'33.81"E	29°23'49.23"N

Additional Attachment- 2-5

परियोजना का नाम :- रामनगर में बस गेट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष लगभग 0.120 हे० भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को लीज नवीनीकरण/वनभूमि हस्तान्तरण।

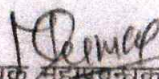
प्रारूप-10

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित भूमि पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है। आवेदित 0.120 हे० वन भूमि की मांग न्यूनतम है व इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।

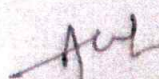
हस्ताक्षर
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

हस्ताक्षर
(वन विभाग)


सहायक महप्रबन्धक
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
रामनगर


मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम कुमाऊ
मण्डल, काठगोदाम।
मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
काठगोदाम.


वन क्षेत्राधिकारी
कोसी वन क्षेत्र
(रामनगर वन प्रभाग रामनगर)
नैनीताल


उपप्रभागीय वनाधिकारी
(रामनगर)
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर


प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर।
प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

Additional Attachment-2-6

परियोजना का नाम :- रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष लगभग 0.120 हे० भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को लीज नवीनीकरण/वनभूमि हस्तान्तरण।

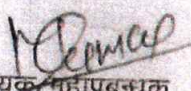
प्रारूप-14

लैन्ड शेड्यूल
(आरक्षित वन भूमि)

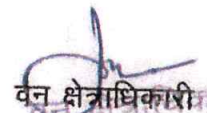
जिला	वन प्रभाग का नाम	वन ब्लाक का नाम	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)		चौड़ाई (मीटर में)	कुल क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	क्षेत्रफल (हे०)
नैनीताल	रामनगर	कोसी रेन्ज, रामनगर	1	20.50	36.00	738.00	0.07380
			2	9.50	23.00	218.50	0.02185
			3	8.00	8.70	69.60	0.00696
			4	11.00	7.00	77.00	0.00770
			5	32.00	3.00	96.00	0.00960
			कुल योग:-				
Say					1200.00	0.1200	

ह०/-
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह०/-
वन विभाग


सहायक महाप्रबन्धक
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
रामनगर


मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम कुमाऊ
मण्डल, काठगोदाम।


वन क्षेत्राधिकारी
कोसी वन क्षेत्र
(रामनगर वन प्रभाग रामनगर)
नैनीताल


उपप्रभागीय वनाधिकारी
(रामनगर)
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर


प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर।
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

Additional Attachment- 2.6

परियोजना का नाम :- रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष लगभग 0.120 है० भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को लीज नवीनीकरण/वनभूमि हस्तान्तरण।

प्रारूप-11.1

लैन्ड शेड्यूल

(सिविल एवं सोयम भूमि)

भूमि की श्रेणी	जिला	तहसील	ब्लाक/ग्राम	खसरा सं०	कुल रकबा (हे०)	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (हे०)
शून्य								

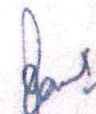
ह०/-
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह०/-
राजस्व विभाग


 सहायक महाप्रबन्धक
 उत्तराखण्ड परिवहन निगम
 रामनगर


 मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन)
 उत्तराखण्ड परिवहन निगम, कुमाऊ
 मण्डल, काठगोदाम।


T. C. GHILDYAL
 Revenue Sub Inspector
 Ramnagar/Chopra
 Tehsil-Ramnagar (Ntl.)


 तहसीलदार
 तहसीलदार रामनगर
 जयपुर-नैनीताल


 उपजिलाधिकारी
 रामनगर (नैनीताल)


 जिलाधिकारी
 नैनीताल

Additional Attachment- 2-6

परियोजना का नाम :- रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष लगभग 0.120 है० भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को लीज नवीनीकरण/वनभूमि हस्तान्तरण।

प्रारूप-112

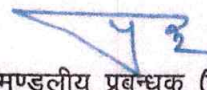
लैन्ड शेड्यूल (वन पंचायत भूमि)

भूमि की श्रेणी	जिला	तहसील	ब्लाक /ग्राम	खसरा सं०	कुल रकबा	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (हे०)
शून्य								

ह०/-
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह०/-
जिलाधिकारी


सहायक महाप्रबन्धक
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
रामनगर


मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम कुमाऊ
मण्डल, काठगोदाम।


T. C. GHILDYAL
पटवारी
Revenue Sub Inspector
Ramnagar/Chopra
Tehsil-Ramnagar (Ntl.)


तहसीलदार
रामनगर
जनपद-नैनीताल


उपजिलाधिकारी
रामनगर (नैनीताल)


जिलाधिकारी
नैनीताल

Additional Attachment- 2-6

परियोजना का नाम :- रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष लगभग 0.120 है० भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को लीज नवीनीकरण/वनभूमि हस्तान्तरण।

प्रारूप-11.3

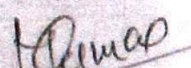
लैन्ड शेड्यूल

(नाप भूमि)

भूमि की श्रेणी	जिला	तहसील	ब्लाक/ग्राम	खसरा सं०	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (हे०)
शून्य							

ह०/-
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह०/-
राजस्व विभाग


सहायक महाप्रबन्धक
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
रामनगर


मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम कुमाऊ
मण्डल, काठगोदाम।


T. C. CHAUDHARY
Revenue Sub Inspector
Ramnagar/Chopra
Tehsil-Ramnagar (Ntl.)


तहसीलदार
तहसीलदार रामनगर
जबलपुर-नैनीताल


जिलाधिकारी
रामनगर (नैनीताल)


जिलाधिकारी
नैनीताल

Additional Attachment-27

परियोजना का नाम :- रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष लगभग 0.120 है० भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को लीज नवीनीकरण/वनभूमि हस्तान्तरण।

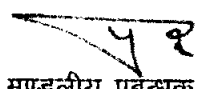
प्राप-12

परियोजना की लम्बाई-चौड़ाई का विवरण।

क्र०सं०	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	कुल योग (वर्ग मी० में)	कुल क्षेत्रफल (हे० में)
1	आरक्षित वन भूमि	20.50	36.00	738.00	0.07380
		9.50	23.00	218.50	0.02185
		8.00	8.70	69.60	0.00696
		11.00	7.00	77.00	0.00770
		32.00	3.00	96.00	0.00960
कुल योग				1199.10	0.11991
Say				1200.00	0.1200

ह०/
प्रयोक्ता एजेन्सी


सहायक महाप्रबन्धक
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
रामनगर


मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम कुमाऊ
भण्डल, काठगोदाम

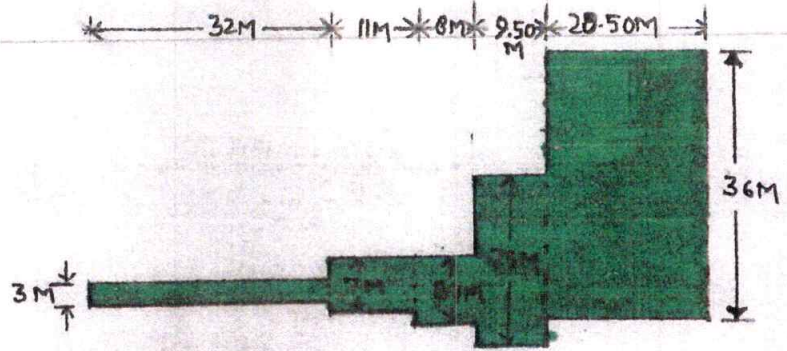
Additional Attachment-2-8

परियोजना का नाम :- रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष लगभग 0.120 है० भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को लीज नवीनीकरण/वनभूमि हस्तान्तरण।

प्रारूप-13

माप दंड :- 1MM=1M

बारचाट



संकेत तालिका

भूमि की श्रेणी	रंग	क्षेत्रफल (हे० में)
आरक्षित वन भूमि	हरा	0.120
सिविल एवं सोयम भूमि	पीला	—शून्य—
वन पंचायत भूमि	बैंगनी/नीला	—शून्य—
संरक्षित वन भूमि	भूरा	—शून्य—
नाप भूमि	सफेद	—शून्य—

हस्ताक्षर
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

हस्ताक्षर
(वन विभाग)

हस्ताक्षर
(राजस्व विभाग)

सहायक महाप्रबन्धक
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
रामनगर

मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम कुमाऊ
मण्डल, काठगोदाम।

वन क्षेत्राधिकारी
कोसी वन क्षेत्र
(रामनगर वन प्रभाग, रामनगर)

सहायकी वन क्षेत्राधिकारी
(रामनगर)
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

प्रभागीय वन क्षेत्राधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर।

पट्टारी
T. C. CHILDIRYAL
Revenue Sub Inspector
Ramnagar/Chopra
Tehsil-Ramnagar (NII.)

तहसीलदार
तहसीलदार रामनगर
जयपद-नैनीताल

उपजिलाधिकारी
रामनगर (नैनीताल)

जिलाधिकारी
नैनीताल

परियोजना का नाम :- रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष लगभग 0.120 है० भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को लीज नवीनीकरण/वनभूमि हस्तान्तरण।

प्रारूप-14

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

ह०/-
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह०/-
वन विभाग

[Signature]
सहायक महस्रबन्धक
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
रामनगर

[Signature]
मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम कुमाऊ
मण्डल, काठगोदाम।
काठगोदाम.

[Signature]
वन क्षेत्राधिकारी
कोसी वन क्षेत्र
(रामनगर वन प्रभाग रामनगर)
नैनीताल

[Signature]
उपप्रभागीय वनाधिकारी
उप प्रभागीय वनाधिकारी
(रामनगर)
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

[Signature]
प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग रामनगर।
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

(30)

प्रपत्र-15

परियोजना का नाम :-

प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रशंगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 11.08.2011 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :-

आरक्षित वन भूमि पर प्रभावित पेड़

क्र.सं.	वन ब्लॉक / कम्पाटमेन्ट	प्रजाति	व्यास वर्ग								योग
			10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	
1.	रामनगर रिजर्व फॉरेस्ट	कानू हवा खड़ा	-	-	-	-	1	1	-	1	1
		हल्दी हवा खड़ा	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		आम हवा खड़ा	1	-	-	-	1	-	-	-	2
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

ह0/-

राजि अधिकारी

वन सहायक अधिकारी

करीब 100 बीघे

रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

जिला

ह0/-

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी

रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

नोट :- उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा तैयार कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करायी जायेगी।

40

प्रपत्र-15.1

परियोजना का नाम :-

सिविल एवं सोयम भूमि पर प्रभावित होने वाले पेड़ों का विवरण

क्र० सं०	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
			10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	सिक्त

ह0 /
गो. कुमार त्यागी
(राजस्व निरीक्षक)

ह0 /
वन क्षेत्राधिकारी
(सहसिलदार/उप जिलाधिकारी (राजि. अधिकारी) (प्रभागीय वनाधिकारी)
(रामनगर वन प्रभाग रामनगर)
मैनीताल

ह0 /-
प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

नोट :-उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तैयार कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करायी जायेगी।

परियोजना का नाम:-

वन पंचायत भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

[illegible]

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

न कुमार त्यागी ह0/
(सिख निरिक्षक) तहसीलदार

वन क्षेत्राधिकारी
(राजि. अधिकारी)
(रायनगर वन प्रभाग रायनगर)
कैथल

ह0 प्राणीय वनाधिकारी
राष्ट्रिय वन प्रमोद, रामनगर
(प्रणीय वनाधिकारी)

ह0/-
(सरपंच)

नोट :-उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तैयार कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रपत्र-15.3

परियोजना का नाम :-

नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

क्र० सं०	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
			10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

ह0/-
राज कुमार त्यागी
(राज्य निरीक्षक)
तहसीलदारह0/-
राजि अधिकारीह0/-
प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगरवन क्षेत्राधिकारी
कोसी वन क्षेत्र
(रामनगर वन प्रभाग रामनगर)
नैनीताल

नोट :- उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी तैयार कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रपत्र-15.4

परियोजना का नाम -

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश।

क्र० सं०	भूमि का प्रकार	व्यास वर्ग									योग
		10-20	20-30	30-40	40-60	60-80	80-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	आरक्षित वन भूमि	—	—	1	—	—	2	1	—	—	4
2	सिविल सोयम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	वन पंचायत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	योग	—	—	1	—	—	2	1	—	—	4
4	नाप भूमि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	कुल योग	—	—	1	—	—	2	1	—	—	4

ह०/-

राजि अधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी

कोशी वन क्षेत्र

(रामनगर वन प्रभाग रामनगर)

नैनीताल

ह०/-

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी

रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

नोट :- उक्त सूचना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तैयार कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रपत्र-15.5

परियोजना का नाम -

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले कुल 44 वृक्षों में से वास्तविक रूप से केवल 4 वृक्षों का पातन किया जाना है।

ह0/-
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह0/-
वन विभागीय अधिकारी
कोशी वन क्षेत्र
(रामनगर वन प्रभाग रामनगर)
नैनीताल

ह0/-
प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वन विभागीय अधिकारी
रामनगर वन क्षेत्र रामनगर

नोट :-उक्त सूचना प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जायेगी।

प्रपत्र-15.6

परियोजना का नाम-

परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की मूल्य सूची

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के अन्तर्गत काटे जाने वाले पेड़ों का कुल मूल्य रुपये 8,77,18/- आंकलित किया जाता है।

ह0 / -
वन अधिकांश
कर्मि अधिकारी
(रामनगर वन प्रभाग रामनगर)
नैनीताल

ह0 / -
प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

नोट :- उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करायी जायेगी।

(46)

प्रपत्र-16

परियोजना का नाम :-

बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के लिये मेरे द्वारा दिनांक 11.02.2021 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले बांज के वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :-

क्र० सं०	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
		10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	बांज	—	—	—	—	—	—	—	—	—	निर्गत

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन परियोजना के निर्माण हेतु किया जाना अपरिहार्य है।

ह०/-

वन संरक्षक,


वन संरक्षक,
राजस्थान सरकार,
जयपुर

नोट :-उक्त प्रमाण-पत्र सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा निर्गत किया जायेगा।

47

प्रपत्र-17.1

परियोजना का नाम :-

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

ह0 / 
प्रयोक्ता एजेन्सी
राज्यीय प्रबंधन (संचालन)
सतराखण्ड परिवहन निगम
काठगोदाम.

वन क्षेत्र अधिकारी
कोशी वन क्षेत्र
सुनसरी जिला प्रशासन, सुनसरी

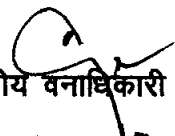
ह0 / - 
प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

नोट :- उक्त प्रमाण-पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न किया जायेगा।

परियोजना का नाम— रामनगर मे बस पोर्ट की स्थापन/विकास कार्य हेतु रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष लगभग 0.120 है० वन भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को लीज/वनभूमि हस्तान्तरण।

परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना में रामनगर बस पोर्ट की स्थापन/विकास कार्य हेतु आवेदित वन भूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।

ह० / 
प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

कार्यालय नगरपालिका परिषद्, रामनगर (नैनीताल)।

पत्रांक 7270 / 3-सा0नि0अनु0 / 2021-22

दिनांक 07-04-2021

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर बस पोर्ट के निर्माण हेतु (0.120 हे० आरक्षित वन भूमि) अर्थात् कुल 0.120 हे० वन भूमि मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन), उत्तराखण्ड परिवहन निगम कुमाऊँ मण्डल काठगोदाम, नैनीताल प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में लीज/वन भूमि हस्तान्तरित किये जाने के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में नगरपालिका रामनगर द्वारा दिनांक 27-03-2021 को सम्मन्न नगरपालिका रामनगर की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकारी अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं।

उपस्थित सभी सभासदों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगरपालिकावासी के परम्परागत अधिकारों का इनमें नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त नगरपालिका परिषद द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पारित किया गया कि, नगरपालिका परिषद रामनगर को उक्त वन भूमि मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन), उत्तराखण्ड परिवहन निगम कुमाऊँ मण्डल काठगोदाम, नैनीताल को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०

अधिशाली अधिकारी
नगरपालिका परिषद, रामनगर
जिला-नैनीताल।

ह०

अध्यक्ष

नगरपालिका परिषद, रामनगर
जिला-नैनीताल।

कार्यालय

"उत्तराखण्ड वन-सदैव आपके संग"

मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण।

वन भवन, 85/87, राजपुर रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल)।

विषय :- रामनगर बस स्टेशन से लगी हुई भूमि के सम्बंध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक-688, दिनांक 15.09.2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में रामनगर वन प्रभाग, रामनगर के कोसी राजि के अन्तर्गत रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष 0.120 हे0 भूमि हेतु चयनित स्थल की आपके द्वारा दिये गये जीपीएस कॉर्डिनेट्स से हवाई दूरी निम्नवत आंकलित की गई है:-

क्र0सं0	वन्यजीव अभ्यारण्य/राष्ट्रीय पार्क/आरक्षित वन क्षेत्र	हवाई दूरी	चयनित स्थल की केएमएल फाइल के जीपीएस प्वाइंट
1	उत्तराखण्ड के निकटतम संरक्षित क्षेत्र- कार्बेट टाइगर रिजर्व की निकटतम सीमा से	280मी0	79°01'32.72"E, 29°23'49.6"N
2	उत्तराखण्ड के निकटतम संरक्षित क्षेत्र- कार्बेट राष्ट्रीय पार्क की निकटतम सीमा से	4.5 किमी0	79°01'32.72"E, 29°23'49.6"N
3	उत्तराखण्ड के निकटतम संरक्षित क्षेत्र- पवालगढ़ कंजेशन रिजर्व की निकटतम सीमा से	28.4 किमी0	79°07'34.08"E, 29°23'48.9"N

उपरोक्तानुसार हवाई दूरी दी गयी केएमएल के अनुसार जी0आई0एस0 तकनीकी से 1:50000 स्केल पर आधारित डिजिटाइज्ड मानचित्र से सन्निकट आंकलित की गयी है। जिसमें ± 0.5 कि0मी0 का एरर सम्भव है।

भवदीय,

Signed by Manoj Chandran
Date: 24-09-2022 13:33:51

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक

प्रपत्र-19

परियोजना का नाम:- रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष लगभग 0.120 है० वन भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम की प्रत्यावर्तन।

राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण से दूरी का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु आवेदित वन क्षेत्र की समीपस्थ कार्बेट टाईगर रिजर्व वन सीमा से हवाई दूरी 280 मी० है।

ह०/
प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

परियोजना का नाम:-

रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष लगभग 0.120 है० वन भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।

जनपद नैनीताल, रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष लगभग 0.120 है० वन भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग के पत्रांक 1247/12-1 दिनांक 21.11.2023 से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी आख्या/संस्तुति के अनुसार प्रस्तावित परियोजना स्थल कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से निकटतम हवाई दूरी 4.5 किमी० एवं कार्बेट टाइगर रिजर्व के निकटतम हवाई दूरी 280 मी० है। इस वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव से कार्बेट टाइगर रिजर्व के वन्यजीवों एवं उनके वास स्थल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग की आख्या के आधार पर उक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर जनहित में सहमति प्रकट की जाती है।

भवदीय,

(डा० समीर सिन्हा)
प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
उत्तराखण्ड।

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।

85-राजपुर रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड), फोन न०-0135-2742884 फैक्स-2745691 ई-मेल-cwlwua@yahoo.co.in

पत्रांक 1667/12-1

देहरादून

दिनांक 23 दिसम्बर, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर।
2. मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन), उत्तराखण्ड परिवहन निगम, कुमाऊँ क्षेत्र, काठगोदाम।

(डा० समीर सिन्हा)
प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
उत्तराखण्ड।

प्रारूप

परियोजना का नाम:- रामनगर में रोडवेज बस टर्मिनल एवं वर्कशॉप भवन का निर्माण कार्य।

परियोजना का मदवार विवरण

क्रम संख्या	मद का विवरण	क्षेत्रफल (है०)
1	S.T.P. & E.T.P. AREA	0.0550
2	DRAINAGE & CHAMBER AREA	0.0175
3	D.G. AREA	0.0100
4	L.T. PANNEL AREA	0.0100
5	TRANFORMER AREA	0.0050
6	OPEN AREA	0.0225
	TOTAL AREA	0.1200

अपने सहयोग के बिना
नमो नमो
उत्तराखण्ड राज्य निगम
हल्द्वारी (नैनोताल)
MALDWANJ

सहायक प्रबन्धक
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
रामनगर डिपो
मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
काठगोदाम

PROJECT : 139/2022

RAMNAGAR BUS
TERMINAL

CLIENT:

UTTARAKHAND TRANSPORT
CORPORATION

DRAWING TYPE:

STRUCTURE DWG.

CONSTRUCTION WING:

UTTARAKHAND PEYJAL NIGAM,
DEHRADUN

MEP CONSULTANT

ONE DESIGN & CONSULTANTS
7/8, L.O.F., Nalwa Enclave, Kalkaji Extension,
New Delhi-110019
E-MAIL:- onedesignconsultants@gmail.com
web mail:- info@onedesignconsultants.com
MOB:- 99580-79000

PLUMBING LEGEND:

S.NO	SYMBOLS	DESCRIPTION
1	(1)	1000 SOIL VERTICAL PIPE
2	(2)	1000 WASTE VERTICAL PIPE
3	(3)	1000 KITCHEN WASTE VERTICAL PIPE
4	(4)	DOMESTIC VERTICAL PIPE
5	(5)	FLUSHING VERTICAL PIPE
6	(6)	HOT WATER SUPPLY
7	(7)	HOT WATER RETURN
8	(8)	DOMESTIC WATER SUPPLY RISER
9	(9)	FLUSHING WATER SUPPLY RISER
10	(10)	1000 UPVC RAIN WATER PIPE
11	(11)	7500 UPVC BALCONY WASTE PIPE
12	(12)	1000 SOIL PIPE RUN BELOW SLAB
13	(13)	1000 WASTE PIPE RUN BELOW SLAB
14	(14)	500 WASTE PIPE RUN UNDER FLOOR
15	(15)	DOMESTIC WATER SUPPLY PIPE
16	(16)	FLUSHING WATER SUPPLY PIPE
17	(17)	HOT WATER SUPPLY PIPE
18	(18)	HOT WATER SUPPLY RETURN PIPE
19	(19)	NON RETURN VALVE
20	(20)	FLOOR TRAP
21	(21)	FLOOR DRAIN
22	(22)	1000 SOIL CUT OUT

S.N. PLUMBING LEGENDS:

01	SEWER LINE
02	SEWER MANHOLE
03	GULLY TRAP

S.N. LEGENDS

01	FOREST AREA
----	-------------

REVISION:

SR. NO.	DATE	DESCRIPTION
01	30-05-2023	FIRST ISSUED

PURPOSE OF DRAWING:

PRESN.	ADVANCE	TENDER	G.F.C.
--------	---------	--------	--------

DRAWING TITLE:

SITE PLAN MEP LAYOUT

NORTH: DESIGNED BY: J.P.

STRUCTURE DESIGNED BY: EK. AMRUP. AL

DRAWN BY: S.K.

CHECKED BY: S.P.

DATE: 01-08-2023

ARCHITECT & ENGINEERS:

Accurate & Associates Infra Pvt.Ltd.

ARCHITECTS, ENGINEERS & INTERIORS

(REG.) DADU BADI, KANUNJ HAWA

(COR.) 11, 12, 13, 14, C.P. PARK, NEW DELHI

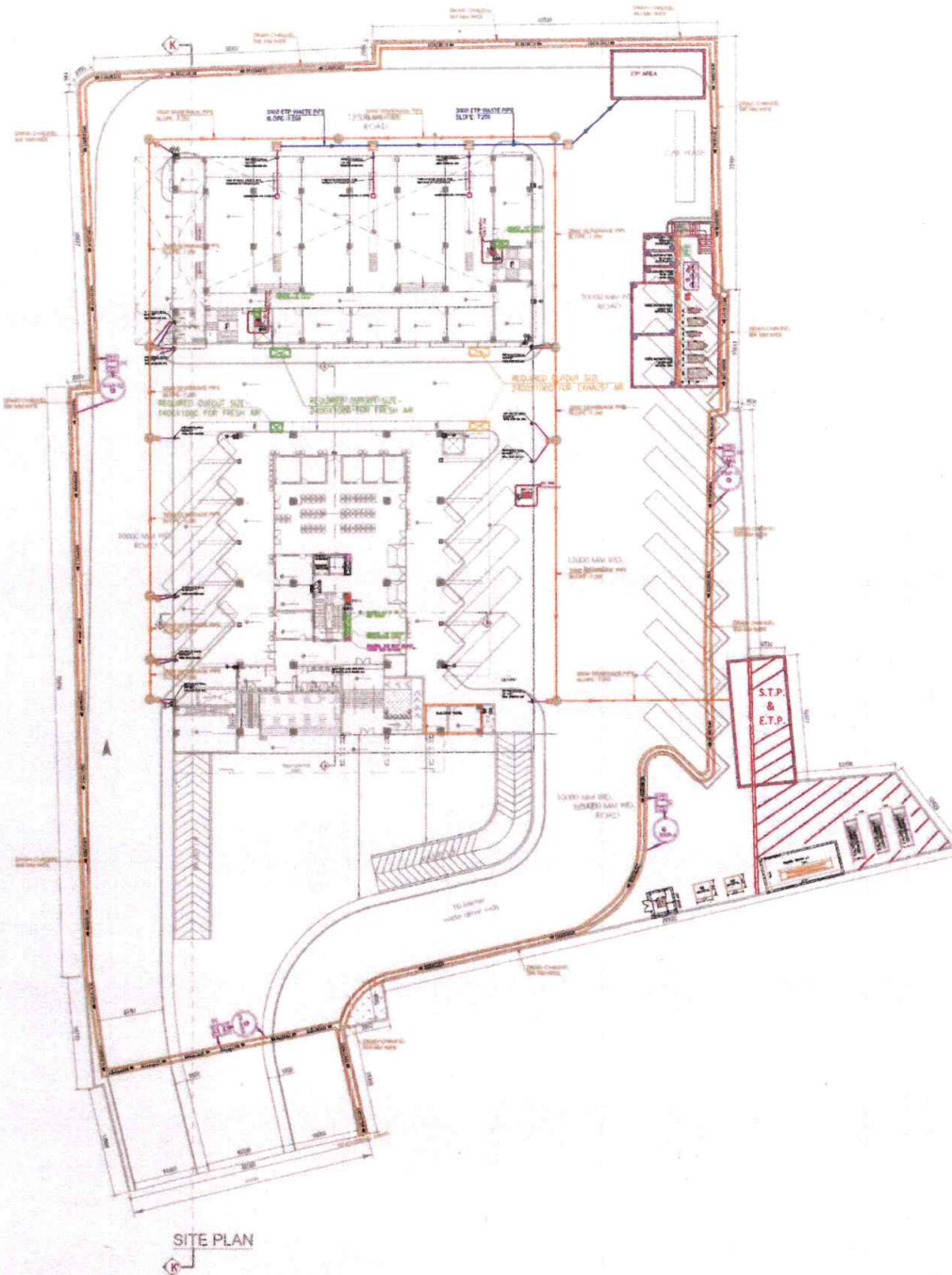
PHONE: 970004218, 987003878

EMAIL: accurateinfra@gmail.com

WEB: www.accurateinfra.co.in

REVISION: DRG. NO. :

139/2022/STRUCTURE/SLAB DETAIL-43.01



महेश्वर आभयनवा
महेश्वर इकाई P.J.N. HALDWANI
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
हल्द्वानी (ननोताल) सहायक महाप्रबन्धक
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
रामनगर डिपो

मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
काठगोदाम

परियोजना का नाम :- रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष लगभग 0.120 हे० भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को लीज नवीनीकरण/वनभूमि हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, रामनगर
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, रामनगर

उपखण्ड रामनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत रामनगर बस पोर्ट के निर्माण हेतु (0.120 हे० आरक्षित वन भूमि अर्थात् (कुल 0.120 हे० वन भूमि) का मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन), उत्तराखण्ड परिवहन निगम कुमाऊ मण्डल काठगोदाम, नैनीताल प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में लीज/वन भूमि हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील रामनगर) की दिनांक 17/12/2021 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री वि. प्रताप सिंह द्वारा, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:-

- | | | | | |
|----|------|-------------------|---------------------------|---------|
| 1- | श्री | वि. प्रताप सिंह | उपजिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2- | श्री | म. ली. खत्री | उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3- | श्री | म. ली. खत्री | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य |
| 4- | श्री | बी०डी०सी० क्षेत्र | | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि रामनगर बस पोर्ट के निर्माण हेतु 0.150 हे० वन भूमि का मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन), उत्तराखण्ड परिवहन निगम कुमाऊ मण्डल काठगोदाम, नैनीताल प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में लीज/वन भूमि हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ... द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड रामनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत रामनगर बस पोर्ट के निर्माण हेतु 0.120 हे० वन भूमि मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन), उत्तराखण्ड परिवहन निगम कुमाऊ मण्डल काठगोदाम, नैनीताल को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

प्रतिलिपि - जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-रामनगर
जनपद- नैनीताल
उप जिलाधिकारी
रामनगर (नैनीताल)

उप जिलाधिकारी
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-रामनगर
जनपद- नैनीताल

परियोजना का नाम :- रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष लगभग 0.120 है० भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को लीज नवीनीकरण/वनभूमि हस्तान्तरण।

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT Nainital (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Nainital district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. D. S. Garbiyal A.S deputy commissioner,. Nainital on dated 28/07/2021 at time 11:00 AM at Nainital in which application claiming rights in **Ramnagar** area measuring 0.120 hect for the construction of **Bus Port Ramnagar** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Koshiyakutoli sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Nainital

Dated: 28/07/2021

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

विभागाध्यक्ष
नैनीताल.

(54)

Main Attachment- 1.6

परियोजना का नाम :- रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष लगभग 0.120 है० भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को लीज नवीनीकरण/वनभूमि हस्तान्तरण।

प्रारूप-30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Nainital

No- *30/2021*

Dated- *08/07/2021*

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.120 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of *Regional Manager, U.C. Kumaon Region, Nainital* (name of user agency) for Construction of **Bus Port** (purpose for diversion of forest land) in **Nainital** district falls within jurisdiction of **Ramnagar** village (s) in **Ramnagar** tehsils.
It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.120** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure to... ..annexure.....
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

EucL: As above.

Signature *LR*

(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी
नैनीताल

जिलाधिकारी
नैनीताल

Main Attachment- 1.6

परियोजना का नाम :- रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष लगभग 0.120 है० भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को लीज नवीनीकरण/वनभूमि हस्तान्तरण।

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand, Office of the District Collector Nainital

No- 4/2012

Dated- 10/12/2011

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 0.120 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Uttarakhand Transport Corporation, Dehradun (name of user agency) for Construction of Bus Port (purpose for diversion of forest land) in Nainital district falls within jurisdiction of Ramnagar village (s) in Ramnagar tehsils.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.120 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure to annexure....
- the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the gram sabha of Ramnagar villages(s) is enclosed as annexure..... to annexure.....
- the discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Encl:As,above.

JK
Signature

(Full name and official seal
of the District Collector) जिलाधिकारी
नैनीताल.

परियोजना का नाम:-

भवन निर्माण हेतु ले-आउट प्लान/मदवार विवरण

ह0/

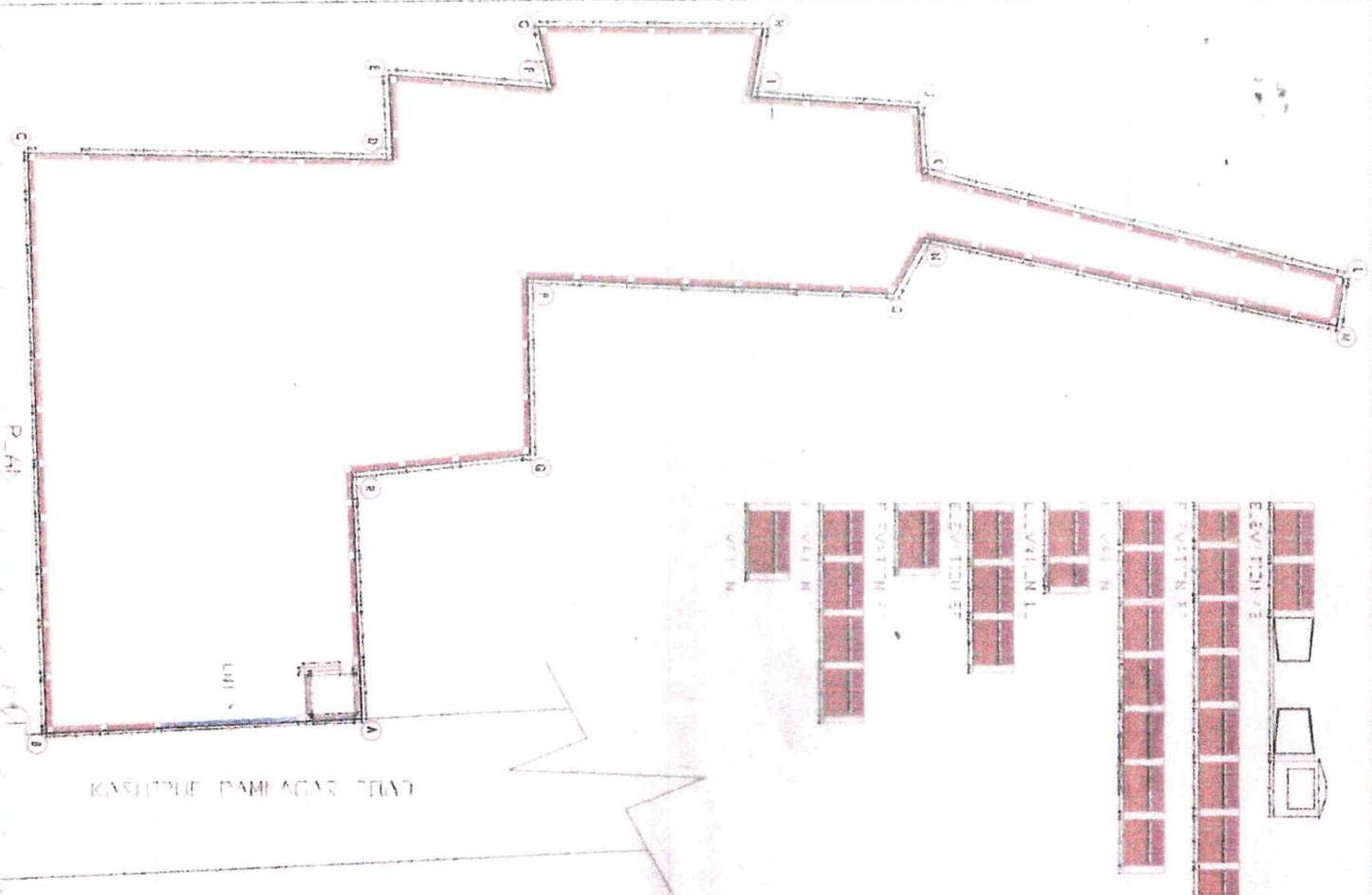
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

मुख्यालय प्रबंधक (सूचना)

उत्तराखण्ड परिवहन निगम

काठ्योदास.

नोट :-उक्त सूचना प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जायेगी।



KASIHUTUG PAMPAHAS TUNO



सुप्रसाद
काठमाडौं

Additional Attachment -2'28

परियोजना का नाम :- रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष लगभग 0.120 है० भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को लीज नवीनीकरण/वनभूमि हस्तान्तरण।

प्रारूप-33

भू-वैज्ञानिक की आख्या

(प्रस्तावित स्थल की भू-वैज्ञानिक द्वारा निर्गत अद्यतन निरीक्षण आख्या प्राप्त कर भू-वैज्ञानिक हस्ताक्षरयुक्त प्रतियों संलग्न की गयी है।)


मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम कुमाऊ
मण्डल, काठगोदाम।

Additional Attachment -2.31

परियोजना का नाम :- रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष लगभग 0.120 है० भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को लीज नवीनीकरण/वनभूमि हस्तान्तरण।

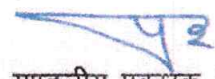
प्रारूप-34

भू-वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

ह०/-
(प्रयोक्ता एजेन्सी)


सहायक/महप्रबन्धक
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
रामनगर


मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम, कुमाऊ
मण्डल, काठगोदाम।

कार्यालय भूवैज्ञानिक
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
जिला टास्क फोर्स, नैनीताल स्थित हल्द्वानी।

पत्रांक : 1105 / टा0फो0नैनी0/भवन/2021-22

दिनांक : 13.12.2021

सेवा में

मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन),
उत्तराखण्ड परिवहन निगम,
कुमाऊँ क्षेत्र।

विषय

रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी हुई अवशेष लगभग 0.120 है0 वन भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित वन भूमि की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक: 4495 केआर/4-भूमि-भवन/ कुमाऊँ मण्डल/2021, दिनांक 02 दिसम्बर 2021 के माध्यम से सन्दर्भित उपरोक्त प्रकरण में आवश्यक अभिलेख पूर्ण कराये जाने के उपरान्त, प्रस्तावित स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण अधोहरताक्षरी द्वारा दिनांक 08.12.2021 को कार्यवाही विभाग के प्रतिनिधि श्री इतरत अली, सीनियर क्लर्क की उपस्थिति में सम्पन्न किया गया, जिसकी निरीक्षण आख्या सं0 29, संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक

1. निरीक्षण आख्या।

भवदीय



(लेख राज)

उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक

/उपरोक्तानुसार/तददिनांकित।
प्रतिनिधि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1- जिलाधिकारी नैनीताल।
- 2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।

(उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक)

कार्यालय भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जिला टास्क फोर्स, नैनीताल स्थित हल्द्वानी।

रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी हुई अवशेष लगभग 0.120 हे० वन भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित वन भूमि की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

प्रस्तावना:-

मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन), उत्तराखण्ड परिवहन निगम, कुमाऊँ क्षेत्र के पत्रांक: 4495 केआर/4-भूमि-भवन/ कुमाऊँ मण्डल/2021, दिनांक 02 दिसम्बर 2021 के माध्यम से सन्दर्भित उपरोक्त प्रकरण में आवश्यक अभिलेख पूर्ण कराये जाने के उपरान्त, प्रस्तावित स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 08.12.2021 को कार्यदायी विभाग के प्रतिनिधि श्री इतरत अली, सीनियर क्लर्क की उपस्थिति में सम्पन्न किया गया, जिसकी निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

स्थिति:-

रामनगर में बस स्टेशन में बस पोर्ट की स्थापना हेतु बस अड्डे से लगी हुई भूमि को परिवहन निगम को हस्तान्तरण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित स्थल वर्तमान में एक खुला लगभग समतल भूभाग है जिसमें स्वरथानिक प्रजाति की झाड़ियाँ तथा कुछ आवासीय भवन स्थित हैं। प्रस्तावित स्थल के उत्तर की ओर खुला लगभग समतल भूभाग स्थित है जो वन भूमि है। स्थल के पश्चिम की ओर आवासीय क्षेत्र स्थित हैं। स्थल के दक्षिण की ओर वर्तमान बस अड्डा स्थित है। स्थल के पूर्व की ओर काशीपुर-रानीखेत मोटर मार्ग स्थित है जिसका स्थल के निकट समरेखण उत्तर-दक्षिण की ओर है। कार्यदायी विभाग द्वारा प्रस्ताव के साथ उपलब्ध कराये गये मानचित्र/अभिलेखों के अनुसार प्रस्तावित स्थल वन विभाग के वन क्षेत्र कोसी, रामनगर, वन प्रभाग रामनगर के अन्तर्गत स्थित है, तथा प्रस्तावित स्थल का कुल प्लॉट क्षेत्रफल 0.120 हे० है, जिसे उपरोक्त कार्य हेतु सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरण किया जाना प्रस्तावित है। चयनित स्थल मोटर मार्ग से कम ऊँचाई वाले भूभाग में अवस्थित है, जिसे विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

आवेदित स्थल, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के टोपो शीट सं० 53 O/3 के अन्तर्गत आता है। स्थल समुद्र से लगभग 370 मीटर की ऊँचाई पर तथा निम्न अक्षांस व देशान्तर पर स्थित है :-

उत्तर 29° 23' 49.3" अक्षांस
पूर्व 79° 07' 35.0" देशान्तर

भूगर्भीय संरचना:-

स्थल की सतह पर स्वरथानिक चट्टानों का पूर्णतया अभाव है। स्थल की सतह पर मोटे कणों का समान रूप की मृदा का आवरण है जिसमें विभिन्न प्रकार की चट्टानों के कोबेल व पेंचल आकार के गोलीय अवस्था में विद्यमान हैं। भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से यह सम्पूर्ण क्षेत्र हिमालय पर्वत श्रृंखला के हिमालय में स्थित बाह्य हिमालय के गिरीपाद में स्थित है जो हिमालय पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली कोसी नदी के जलोढ़ चट्टानों द्वारा कालान्तर में अपने साथ बहाकर लाये गये नदीय अवसादों के स्थल पर निक्षेपित करके निर्मित हुआ प्रतीत होता है जो वर्तमान में स्थिर हो गया है। प्रस्तावित स्थल एक जलोढ़ पंख के अग्र भाग में पूर्व की ओर लगभग 600 मीटर की दूरी पर कोसी नदी स्थित है जिसका स्थल के उत्तर-दक्षिण की ओर है। स्थल पर भावर क्षेत्र की भूगर्भीय संरचना व्याप्त है। स्थल पर ऊपर वर्णित जलोढ़ पंख के उत्तर-पश्चिम तथा उत्तर-पूर्व की ओर स्थित, स्थल से अधिक ऊँचाई वाले जलोढ़ पंखों के अपरदन से टूटकर आये अवसादों के स्थल पर एकत्रित होने से निर्मित हुआ प्रतीत

स्थल है। स्थल पर नीचे की ओर विभिन्न प्रकार की चट्टानों के कोबेल, पैबल व बोल्डर के अधिक मात्रा में स्थित होने की प्रबल सम्भावना है। स्थल के निकटवर्ती क्षेत्र में ढलाने दृष्टिगोचर नहीं होती हैं तथा स्थल लगभग समतल है जबकि क्षेत्रीय स्तर पर स्थल तथा स्थल के निकटवर्ती क्षेत्र में सामान्य ढलाने क्रमिक हैं जिनकी दिशा दक्षिण-पश्चिम की ओर हैं। सम्पूर्ण स्थल एक वंजर भूभाग है जिसमें स्वस्थानिक प्रजाति की झाड़ियां तथा कुछ बूट आदि अवस्थित हैं। स्थल पर एवं स्थल के निकटवर्ती भाग में कोई अधिक ढालदार क्षेत्र तथा कोई प्राकृतिक नाला आदि दृष्टिगोचर नहीं होता है। प्रस्तावित स्थल/क्षेत्र भारतीय सीजमिक मानचित्र में सक्रिय भूकम्पीय पट्टी IV (हाई डैमेज रिस्क जोन) में वर्गीकृत किया गया है जहाँ स्थल अधिकांशतः लघु से मध्यम व यदाकदा वृहद तीव्रता के भूकम्पनों से प्रभावित हो सकता है। निरीक्षण के समय स्थल के अन्तर्गत किसी प्रकार के दबाव व भूधंसाव की स्थिति दृष्टिगोचर नहीं होती है तथा स्थल वर्तमान में स्थिर (प्राकृतिक आपदा को छोड़कर) प्रतीत होता है।

निष्कर्ष:-

प्रथम दृष्टया निरीक्षण में प्रस्तावित स्थल, भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से सन्दर्भित प्रयोजन हेतु उपयुक्त प्रतीत होता है।



(लेख राज)

उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक

परियोजना का नाम :- रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष लगभग 0.120 है० भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को लीज नवीनीकरण/वनभूमि हस्तान्तरण।

प्रारूप-35

Task Force Certificate

- (i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
- (ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
- (iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
- (iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

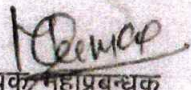
Apart from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

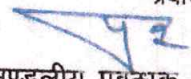
- (i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
- (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in road. Use of delay detonators in large scale blasting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
- (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen muck treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made.
- (iv) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culverts, breast walls, retaining walls are to be provided for purpose of establishing the slips Growth vegetative cover is to be stimulated in the disturbed hill slopes above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In
- (v) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and others engaged in construction of hill roads. these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियाँ का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा है।

ह०/-

प्रयोक्ता एजेन्सी


सहायक महाप्रबन्धक
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
रामनगर


मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम कुमाऊ
मण्डल, काठगोदाम।

परियोजना का नाम :- रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष लगभग 0.120 है० भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को लीज नवीनीकरण/वनभूमि हस्तान्तरण।

प्रारूप-36

मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण-पत्र
मानक शर्तें

1. वन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसकी वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भांति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रसंगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा व अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
4. वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
6. परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारों का रख-रखाव किया जायेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता एजेन्सी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरीयों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः किसी प्रतिकर के भुगतान किये बिना वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता एजेन्सी न होने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर संरेखण तय करते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी लो0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा। वन भूमि पर अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का सुदृढीकरण/चौड़ीकरण कार्य करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य है।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग किया जायेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बाँज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण सम्बन्धित वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के कोरिडोर के नीचे यथासम्भव पेड़ों का पातन नहीं किया जायेगा व पारेषण लाईन के खम्भों को जेंचा कर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को बचाया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का पातन अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त कार्य को स्वयं के व्यय से करायेगा।
17. उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया गया हो अथवा संक्षम स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य हैं।

H0/
प्रयोक्ता


सहायक महाप्रबन्धक
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
रामनगर


मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम कुमाऊ
मुण्डल, काठगोदाम।

मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
काठगोदाम

Additional Attachment -2.32

परियोजना का नाम :- रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष लगभग 0.120 है० भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को लीज नवीनीकरण/वनभूमि हस्तान्तरण।

प्रारूप-37

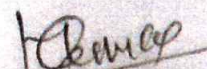
धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।

ह०/
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह०/-
राजस्व विभाग


सहायक महाप्रबन्धक
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
रामनगर


मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम कुमाऊ
मण्डल, काठगोदाम।
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
काठगोदाम.


T. C. GHILDYAL
Revenue Sub Inspector
Ramnagar/Chopra
Tehsil-Ramnagar (Ntl.)
पटवारी


तहसीलदार
तहसीलदार रामनगर
जनपद-नैनीताल


उपजिलाधिकारी
जिलाधिकारी
रामनगर (नैनीताल)


जिलाधिकारी
नैनीताल

Additional Attachment -2.33

परियोजना का नाम :- रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष लगभग 0.120 है० भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को लीज नवीनीकरण/वनभूमि हस्तान्तरण।

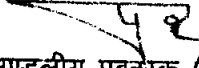
प्रारूप-38

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख-रखाव के दौरान वन्य जीवों/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।

ह०/
प्रयोक्ता एजेन्सी


सहायक महाप्रबन्धक
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
रामनगर


मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम कुमाऊ
मण्डल, काठगोदाम
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
काठगोदाम

Additional Attachment -2.34

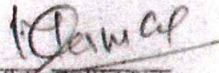
परियोजना का नाम :- रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष लगभग 0.120 है० भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को लीज नवीनीकरण/वनभूमि हस्तान्तरण।

प्रारूप-39

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों को प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।

ह०/
प्रयोक्ता एजेन्सी


सहायक महाप्रबन्धक
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
काठगोदाम
रामनगर


मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम कुमाऊ
मण्डल, काठगोदाम।
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
काठगोदाम

70

प्राक्कलन

प्रस्तावित वन का नाम— कोसी राजि रामनगर वन प्रभाग के अन्तर्गत रोडवेस बस अड्डे हेतु दिये गये वन भूमि/प्रभावित वृक्षों के स्थान पर वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव पर 100 वृक्षों का वृक्षारोपण कार्य रिक्त पड़े स्थानों पर उचित प्रजातियों के वृक्षारोपण का प्राक्कलन

वृक्षारोपण स्थल का नाम—रामनगर रिजर्व ब्लाक अपरकोसी बीट 0.1 है०

प्रति हेक्टेयर लगाने वाले पौधों की संख्या 100

कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर(रु०)	योग
2	3	4	5
प्रथम चरण			
प्रथम चरण	—	लमसम	100.00
क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	0.10 है०	8925	892.50
आगम फोर्जिंग / टी गाई	100 नग	1000	100000.00
गहड़ा खुदान (0.45X0.45X0.45)	100 नग	17.838	1783.80
पौधों का मूल्य	100 नग	16.39	1639.00
योग— प्रथम चरण			
द्वितीय चरण			
गहड़ा भरान (0.45X0.45X0.45)	100 नग	1.24	124.00
पौधों बुलान कार्य	0.10 है०	3651	365.1
पौधारोपण व थालाबन्दी	0.10 है०	3098	309.80
भिगाई गुड़ाई व मल्लिचग (दो बार)	0.10 है०	5534	553.40
खाद व दवा पर व्यय	0.10 है०	53	5.30
वृक्षारोपण के उपरान्त झाड़ी कटान	0.10 है०	1853	185.30
अन्य व्यय जंगल क्षेत्र का रख रखाव ईंधन स्टेशनरी प्रचार प्रसार आदि	0.10 है०	5778	577.80
अन्य व्यय साउथ बोर्ड पौध बुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी, आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचन हेतु पोलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफ फील्ड सर्वे, कार्यों का प्रचार-प्रसार एवं डेक्कमेंटेशन आदि कार्य	0.10 है०	5648	564.80
अन्य कार्य	—	लमसम	300.00
योग— द्वितीय चरण		योग	107400.80
वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख-रखाव वर्ष			
रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	0.10 है०	16018	1601.80
योग—			1601.80
वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख-रखाव वर्ष			
रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	0.10 है०	15406	1540.60
योग—			1540.60
वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख-रखाव वर्ष			
रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में अनुरक्षण कार्य	0.10 है०	15406	1540.60
योग—			1540.60
वृक्षारोपण का पाँचवें वर्ष का रख-रखाव वर्ष			
रोपण वर्ष के उपरान्त पाँचवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य	0.10 है०	15406	1540.60
योग—			1540.60
वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रख-रखाव वर्ष			
रोपण वर्ष के छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य	0.10 है०	15406	1540.60
योग—			1540.60
वृक्षारोपण का सातवां वर्ष का रख-रखाव वर्ष			
रोपण वर्ष के सातवां वर्ष में अनुरक्षण कार्य	0.10 है०	15406	1540.60
योग—			1540.60
कुल योग			116706.60
वा			116700.00

सभीपूरक वृक्षारोपण की कुल लागत—116700.00

(एक लाख सोलह हजार सात सौ)

प्रभागीय वनाधिकारी

रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

प्रभागीय वनाधिकारी

रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

वृक्षारोपण अधिकारी
कोसी राजि रामनगर वन प्रभाग

(रामनगर वन प्रभाग रामनगर)

नियंत्रित

Additional Attachment -2.19

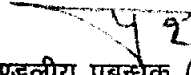
परियोजना का नाम :- रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष लगभग 0.120 है० भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को लीज नवीनीकरण/वनभूमि हस्तान्तरण।

प्रारूप-49

परियोजना के निर्माण से उत्पादित मलुवा निस्तारण का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण से निकलने वाले मलुवा निस्तारण उक्त लीज नवीनीकरण की भूमि में किया जायेगा। अतिरिक्त मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नहीं है।


सहायक महाप्रबन्धक
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
रामनगर

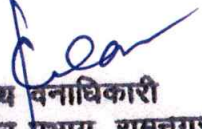

मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम कुमाऊ
मण्डल, काठबोदाम।

परियोजना का नाम:— रामनगर में बस पोर्ट की स्थापन/विकास कार्य हेतु रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष लगभग 0.120 है० वन भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को लीज/वनभूमि हस्तान्तरण।

मलवा निस्तारण योजना व मानचित्र

क्र०सं०	कार्य मद	संख्या	दर/इकाई	कुल धनराशि
1	घास एवं झाड़ी प्रजातियों का रोपण/बीज रोपण, गड्ढे खुदान, भरण व अन्य कार्य		लागू नहीं	
2	वनस्पतिक चैकडेम का निर्माण			
3	केट वायर चैकडेम का निर्माण			
4	आर.आर. ड्राई का निर्माण			
5	दीवाल/अन्य अभियांत्रिक संरचनाओं का निर्माण			
6	उचित प्रजातियों का रोपण			
	योग-			

प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित क्षेत्र में बस पोर्ट का निर्माण किया जाना है। जिसके उपरान्त जो भी मलवा उत्सृजित होगा उसका उपयोग प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भूमि को समतल करने में किया जायेगा। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण में कोई भी मलवा अवशेष नहीं रहेगा।


प्रभागीय वनाधिकारी
 रामनगर वन प्रभाग, रामनगर
 ह०/-
 प्रभागीय वनाधिकारी

ह०/-
प्रयोक्ता एजेन्सी
 उत्तराखण्ड परिवहन निगम
 काठगोदाम

(74)

(48)

Additional Attachment -2.37

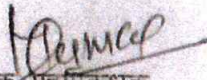
परियोजना का नाम :- रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष लगभग 0.120 है० भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को लीज नवीनीकरण/वनभूमि हस्तान्तरण।

प्रारूप-51

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

ह०/-
प्रयोक्ता एजेन्सी


सहायक महप्रबन्धक
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
रामनगर

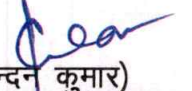

मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम कुमाऊ
मण्डल, काठगोदाम

परियोजना का नाम:- रामनगर में बसपोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर-रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष लगभग 0.120 है० वन भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को लीज/वनभूमि हस्तान्तरण।

एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश सं० 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 06.01.2022 में उल्लेखित व्यवस्था के अनुसार उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है:-

1. ईको-क्लास श्रेणी	-	III rd
2. हरियाली का घनत्व	-	0.6
3. एन०पी०वी० की दर प्रति है०	-	रु० 12,28,590/-
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल	-	0.12 है०
5. कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि	-	रु० 147430.8/- या रु० 147430.00/-


(कुन्दन कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर
प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

75

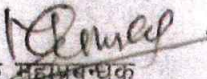
Additional Attachment -2.41

परियोजना का नाम :- रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष लगभग 0.120 है० भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को लीज नवीनीकरण/वनभूमि हस्तान्तरण।

प्रारूप-52

परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर०सी०सी० पिलरों द्वारा सीमांकन का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि लीज नवीनीकरण की स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।


सहायक महाप्रबन्धक
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
रामनगर


मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम कुमाऊ
मण्डल, काठगोदाम

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान

क्र.सं.	कार्य का नाम	सं.	नपत मीटर में			मात्रा	ईकाई	दर	धनराशि	दर क्रमांक
			ल०	चौ०	ऊँ०					
1	सीमांकन पोलर निर्माण हेतु बुनियादी खोदना	10	0.45	0.45	0.30	0.60	घ.मी.	264.91	158.94	2,8,1
2	सीमांकन पोलर निर्माण हेतु बुनियादी खोदना	10	0.45	0.45	0.30	0.60	घ.मी.	6079.08	3647.44	4,1,8
3	सीमांकन पोलर निर्माण हेतु बुनियादी खोदना	10	0.35	0.35	1.00	1.225	घ.मी.	9764.53	11961.54	11,3,1
4	सीमांकन पोलर निर्माण हेतु बुनियादी खोदना	-	-	-	-	0.961	कु०	8620.00	8283.82	5,22,1
5	सीमांकन पोलर निर्माण हेतु बुनियादी खोदना	10 X 4	0.35	-	1.00	14.00	व.मी.	280.19	3922.66	13,1,3
6	सीमांकन पोलर निर्माण हेतु बुनियादी खोदना	10 X 4	0.35	-	1.00	14.00	व.मी.	149.31	2090.34	13,48,1
7	सीमांकन पोलर निर्माण हेतु बुनियादी खोदना	-	-	-	-	-	-	लमसम	1140.00	-
योग								31204.74	-	-
या								31200.00	-	-

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान

प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

वन क्षेत्राधिकारी
कोसी राजि, रामनगर

Additional Attachment -2.23

परियोजना का नाम :- रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष लगभग 0.120 है० भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को लीज नवीनीकरण/वनभूमि हस्तान्तरण।

प्रारूप-54

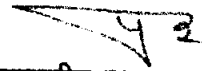
वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

ह०/
प्रयोक्ता एजेन्सी

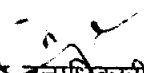
ह०/
वन विभाग


सहायक महाप्रबन्धक
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
रामनगर


मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम कुमाऊ
मण्डल, काठगोदाम


वन अधिकारी
(रामनगर वन प्रभाग, रामनगर)
काली वन क्षेत्र
(रामनगर वन प्रभाग, रामनगर)
नैनीताल

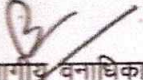

उपप्रभागीय वनाधिकारी
उप प्रभागीय वनाधिकारी
(रामनगर)
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर


प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर।
र वन प्रभाग, रामनगर

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है की परिवहन विभाग द्वारा पूर्व में हस्तान्तरित की गयी वन भूमि में निर्गत शासनादेशों में अधिरोपित सभी शर्तों का पूर्ण रूप से अनुपालन किया गया है।


वन क्षेत्राधिकारी,
कोसी राजि


उप-प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर


प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर